झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान– सभा

सप्तदश (मॉनसून) सत्र

वर्ग– 02

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न,मंगलवार,दिनांक– 08 श्रावण, 1946 [श0] / 30 जुलाई, 2024 [ई0] को

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सां0संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
33–	अ0सू0– 04	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	पुस्तक उपलब्ध कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24.07.2024
34–	अ0सू0– 15	श्री विनोद कुमार सिंह	छात्रों को नियुक्त कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24.07.2024
35–	अ0सू0– 27	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	विद्यालय भवन का निर्माण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24.07.2024
36–	अ0सू0– 08	डॉ0 कुशवाहा शशि भूषण मेहता	शिक्षण कार्य प्रारंभ कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	24.07.2024
37–	अ0सू0– 42	श्री अमित कुमार मण्डल	स्टेडियम का निर्माण।	पर्य0, कला–संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	25.07.2024
38*–	अ0सू0– 16	श्री लोबिन हेम्ब्रम	यथावत रखना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24.07.2024
39–	अ0सू0– 13	श्री विकास कुमार मुण्डा	सीटों की संख्या बढ़ाना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24.07.2024
40–	अ0सू0– 32	सुश्री अम्बा प्रसाद	ठेका प्रथा से मुक्त कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24.07.2024

01.	02.		03.	04.	05.	06
41*–	अ0सू0–	18	श्री लोबिन हेम्ब्रम	दोषियों पर कार्रवाई करना।	वन,पर्या एवं जलवायु परि0	24.07.2024
42–	अ0सू0–	03	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	कोच की नियुक्ति।	पर्य0, कला–संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	24.07.2024
# 43–	अ0सू0–	46	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	पढ़ाई प्रारंभ कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25.07.2024
44–	अ0सू0–	12	डॉ0 लम्बोदर महतो	विद्यालयों को उत्क्रमित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24.07.2024
45–	अ0सू0–	31	श्री कमलेश कुमार सिंह	पर्यटन क्षेत्र घोषित करना।	पर्य0, कला–संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	24.07.2024
46–	अ0सू0–	21	श्री रामचन्द्र सिंह	उत्क्रमित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25.07.2024
47–	अ0सू0–	28	श्री प्रदीप यादव	U.G.C के निर्देशों का अनुपालन।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	24.07.2024
48–	अ0सू0–	05	श्री सरयू राय	जन सुविधा उपलब्ध कराना।	उद्योग	24.07.2024
49–	अ0सू0–	36	श्री बिरंची नारायण	कार्रवाई करना।	खान एवं भूतत्व	25.07.2024
50*–	अ0सू0–	37	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	शिक्षकों का पदस्थापन।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25.07.2024
51–	अ0सू0–	11	डॉ0 लम्बोदर महतो	प्रशासनिक स्वीकृति देना।	पर्य0, कला–संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	24.07.2024
52–	अ0सू0–	39	श्री राजेश कच्छप	वनरोपन करना।	वन,पर्या एवं जलवायु परि0	25.07.2024
53–	अ0सू0–	20	श्री कमलेश कुमार सिंह	राईस मिल की स्थापना।	उद्योग	24.07.2024
54–	अ0सू0–	35	श्री बिरंची नारायण	पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	खान एवं भूतत्व	24.07.2024
55–	अ0सू0–	44	श्री नवीन जयसवाल	MACP का लाभ देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25.07.2024
56–	अ0सू0–	41	किशुन कुमार दास	पर्यटन स्थल घोषित करना।	पर्य0, कला–संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	25.07.2024
57–	अ0सू0–	47	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	वेतनमान का लाभ देना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	25.07.2024

नोट:– # 43 ज्ञापांक-2010 दिनांक-26/07/24 द्वारा उच्च एवं तकनीकि शिक्षा विभाग में स्थानांतरित।

कृ0पृ0उ0–

01.	02.	03.	04.	05.	06
58–	अ0सू0– 06	श्री समीर कुमार मोहन्ती	वेतनमान देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24.07.2024
59–	अ0सू0– 34	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता	शिक्षकों की नियुक्ति कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24.07.2024
60–	अ0सू0– 43	श्री निरल पुरती	कार्रवाई करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25.07.2024
61–	अ0सू0– 14	श्री सुखराम उराँव	पर्यटन स्थल विकसित करना।	पर्य0, कला–संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	24.07.2024
62–	अ0सू0– 22	श्री उमाशंकर अकेला	जवाहर घाटी को विकसित करना।	पर्य0, कला–संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	24.07.2024
63–	अ0सू0– 02	श्री सरयू राय	दोषियों पर कार्रवाई।	पर्य0, कला–संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	24.07.2024
64–	अ0सू0– 33	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता	सुविधाओं की व्यवस्था कराना।	पर्य0, कला–संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	24.07.2024
65–	अ0सू0– 48	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	समायोजन करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25.07.2024
66–	अ0सू0– 38	श्री किशुन कुमार दास	समान वेतन लागू करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25.07.2024
67–	अ0सू0– 24	श्री केदार हजरा	महाविद्यालय में भवन का निर्माण कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	24.07.2024
68–	अ0सू0– 19	श्री प्रदीप यादव	बकाया वित्तीय अनुदान देना	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	24.07.2024
69–	अ0सू0– 25	श्रीमती सुनिता चौधरी	मुआवजा का भुगतान करना।	वन,पर्या एवं जलवायु परि0	24.07.2024
70–	अ0सू0– 10	श्री जिग्गा सुसारन होरो	पठन–पाठन प्रारंभ कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	24.07.2024
71–	अ0सू0– 17	श्री विनोद कुमार सिंह	मानदेय में वृद्धि।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24.07.2024
72–	अ0सू0– 01	श्री नवीन जयसवाल	मानदेय में वार्षिक वृद्धि।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24.07.2024
73–	अ0सू0– 40	श्री अमित कुमार मण्डल	सूची जारी करना।	उद्योग	25.07.2024
74–	अ0सू0– 23	श्रीमती सुनिता चौधरी	मंदिर को संरक्षित करना।	पर्य0, कला–संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	24.07.2024

नोट:- ф 73 ज्ञापांक 943 दिनांक 26/07/24 द्वारा श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग में स्थानांतरित।

01.	02.	03.	04.	05.	06
75—	अ0सू0— 09	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	स्टोन माईस पर रोक लगाना।	खान एवं भूतत्व	24.07.2024
76—	अ0सू0— 26	नमन विक्सल कोनगाड़ी	सूची में शामिल करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24.07.2024
77—	अ0सू0— 29	श्री रामचन्द्र सिंह	अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रदान करना।	वन,पर्या एवं जलवायु परि0	24.07.2024
78—	अ0सू0— 45	श्री अमित कुमार यादव	दोषी पर कार्रवाई करना।	वन,पर्या एवं जलवायु परि0	25.07.2024
79—	अ0सू0— 07	श्री समीर कुमार मोहन्ती	समायोजन करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24.07.2024
80—	अ0सू0— 30	श्री भानु प्रताप शाही	स्थापना करना।	उद्योग	24.07.2024

नोटः— (i) # 38 एवं @ 41सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या—1507, दिनांक—26.07.2024 के आलोक में दिनांक—26.07.2024 से माननीय सदस्य श्री लोबिन हेम्ब्रम पंचम झारखण्ड विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित।

(ii) $ 50 - सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या—1505, दिनांक—26.07.2024 के आलोक में दिनांक—26.07.2024 से माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश भाई पटेल पंचम झारखण्ड विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित।

राँची,
दिनांक— 30 जुलाई, 2024 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या— प्रश्न— 03/2020.....3449...../वि0स0, रांची, दिनांक— 28/07/24

प्रतिः— झारखण्ड विधान—सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ माननीय नेता प्रतिपक्ष/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या— प्रश्न— 03/2020.....3449...../वि0स0, रांची, दिनांक— 28/07/24

प्रतिः— मा0 अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या— प्रश्न— 03/2020.....3449...../वि0स0, रांची, दिनांक— 28/07/24

प्रतिः— कार्यवाही शाखा/ बेवसाईट शाखा/जे0भी0एस0 टी0भी0 शाखा/ ऑनलाईन शाखा/ प्रश्न ध्यानाकर्षण समिति शाखा एवं आश्वासन शाखा, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

राजु/—

28/07/24

(33)

2236
29/07/2024

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 30.07.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–04

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक का नया स. प्रारंभ हो चुका है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि छात्रों को पढ़ाई के लिए निःशुल्क पुस्तकें सरकार की ओर से उपलब्ध करायी जाती हैं;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि 42 लाख छात्रों को अभी तक पुस्तकें उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची के ज्ञापांक 2748 दिनांक 26.07.2024 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वस्तुस्थिति निम्नांकित है – (*i*) राज्य में कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्य–पुस्तकों की आपूर्ति पूर्ण हो चुकी है। कक्षा 1 से 10 के 46,30,475 विद्यार्थियों में से 45,06,845 (97%) विद्यार्थियों को तथा कक्षा 11 एवं 12 के 8,70,451 विद्यार्थियों में से 5,23,270 (60%) विद्यार्थियों को पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध करा दी गई हैं। (*ii*) विगत लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के मद्देनजर पाठ्यपुस्तकों के वितरण को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता की समाप्ति के बाद ही वितरण करने हेतु ECI के पत्र संख्या 437/06/ESI/JKD-HP/2024 दिनांक 26.04.2024 के द्वारा निदेशित किया गया था, जिसके आलोक में पाठ्यपुस्तकों का वितरण, आचार संहिता समाप्ति के पश्चात् प्रारंभ किए जाने के कारण कुछ विलम्ब हुआ है। (*iii*) एक सप्ताह के अंतर्गत शत्–प्रतिशत् छात्र–छात्राओं के बीच पाठ्यपुस्तकों का वितरण सुनिश्चित हो जाने की जानकारी दी गयी है।
4	क्या यह बात सही है कि पुस्तकें अभी तक प्रखण्ड मुख्यालयों में नहीं भेजी गई हैं;	अस्वीकारात्मक। कक्षा 1 से 12 की सभी पाठ्य–पुस्तकें प्रखण्ड स्तर तक जून, 2024 में आपूर्ति कर दी गई हैं।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्रों को पुस्तकें शीघ्र उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उत्तर उपर्युक्त खण्ड–03 में सन्निहित है।

29/7/24

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स. 01–69 / 2024 2236 / दिनांक 29/07/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/24

सरकार के अवर सचिव।

(34)

2243
29/07/2024

श्री विनोद कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 30.07.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–15

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि एक ही समयावधि में एक नियमित कोर्स/डिग्री और एक दूरस्थ/करोस्पोंडेंट कोर्स/ डिग्री विभिन्न विश्वविद्यालयों और यूजीसी द्वारा मान्य है;	वस्तुस्थिति यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के *Public Notice, F. No. : 1-6/2007(CPP-II) dated 15.01.2016* द्वारा "**02 डिग्री पाठ्यक्रमों में एक साथ अध्ययन करने संबंधी विषय पर स्पष्टीकरण** *(Clarification on allowing students to pursue two degrees simultaneously)*" के क्रम में स्पष्ट किया गया है कि – **"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संदर्भ में विभिन्न सांविधिक निकायों का मत मांगा था। अब तक जिन निकायों ने उत्तर भेजा है, वे दो डिग्रियों के लिए एक साथ अध्ययन के सुझाव का समर्थन नहीं करते। अतः सभी विश्वविद्यालय अपने डिग्री पाठ्यक्रमों के संचालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रथम डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने संबंधी 2003 के विनियमों का पालन करेंगे और जहां कहीं भी आवश्यक होगा, संबंधित सांविधिक निकाय के मानदण्डों का पालन भी सुनिश्चित करेंगे"** *(The Commission had sought the comments of the Statutory Councils. The responses, so far, received do not endorse the idea of allowing the students to pursue two degree simultaneously. Therefore, the universities shall conduct their programmes in accordance with the First Degree and Master Degree Regulations, 2003 prescribed by the UGC and also follow the norms and parameters prescribed by the Statutory Council concerned, wherever relevant.)"*
2	क्या यह बात सही है कि पी.जी.टी. शिक्षक नियुक्ति में मेधा सूची में शामिल ऐसे नियमित और दूरस्थ डिग्री एक साथ करने वाले छात्रों की नियुक्ति रोक दी गई है;	वस्तुस्थिति यह है कि ***"J.S.S.C. द्वारा P.G.T. में 11 विषयों की नियुक्ति प्रक्रिया में समानांतर सत्र में 02 कोर्स** (Dual Degree) **(एक नियमित, एक दूरस्थ तथा दोनों दूरस्थ मोड) से संबंधित अवरोध को दूर कर नियुक्ति हेतु मेरिट लिस्ट के प्रकाशन के संबंध में"*** *दिनांक 10.06.2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को स्वयं आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन में संलग्न – सूचना के अधिकार अधिनियम (**RTI**) के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 04.06.2024 को संबंधित आवेदक को उपलब्ध करायी गयी सूचना निम्नांकित है –* ***यह सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 13.04.2022 को दो डिग्री पाठ्यक्रमों में एक साथ अध्ययन करने संबंधी विषय पर दिशानिदेश निर्गत किया गया है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बेवसाईट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध है एवं स्वतः स्पष्ट है** *(Reply :- I am to inform you that UGC has issued guidelines on 13.04.2022 for pursuing two academic programmes simultaneously. These guidelines are available on the UGC website www.ugc.ac.in under the link:*

		https://www.ugc.ac.in/ pdfnews/9651619_LETTER-GUIDELINES-FOR-PURSUING-TWO-ACADEMIC-PROGRAMMES-SIMULTANEOUSLY.pdf & https://www.ugc. gov.in/pdfnews/5729348_Guidelines-for-pursuing-two-academic-programmes -simultaneously.pdf and are self-explanatory.) ***दिनांक 13 अप्रैल, 2022 के पूर्व दो डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में एक साथ अध्ययन करने संबंधी प्रकरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई भी नीति निर्गत नहीं की गयी थी*** *(Prior to April 13, 2022 with regard to pursuing a degree and a diploma/certificate course simulataneously, UGC has not framed any policy in this regard)* । *नियुक्ति, नियोक्ता संस्था के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भर्त्ती, सेवा एवं प्रोन्नति से संबंधित नियम/नियमावली, नियोक्ता विभाग द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। कृपया संबंधित संस्थान से संपर्क करें* ***(Employment falls within the scope of the employer organization. The rules related to recruitment, service and promotion are determined by the employing department. Contact the concerned institute)*** ।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पी.जी.टी. शिक्षक, मेधा सूची में शामिल ऐसे छात्रों को नियुक्ति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	स्पष्टतः *विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 13.04.2022 को* ***समानांतर सत्र में 02 कोर्स*** *(Dual Degree) की अनुमति से संबंधित प्रावधान गठित किया गया था, अतएव् झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, रांची के पत्रांक 1925 दिनांक 10.06.2024 एवं 1800 दिनांक 24.05.2024 के प्रसंग में विभागीय पत्रांक 1584 दिनांक 12.06.2024 द्वारा स्पष्ट मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा चुका है कि दिनांक 13.04.2022 के पूर्व के मामले में संबंधित समानांतर डिग्री/पाठ्यक्रम की मान्यता इस नियुक्ति हेतु नहीं होगी।* **अतएव् दिनांक 13.04.2022 की तिथि अथवा उसके उपरांत के संबंधित समानांतर डिग्री/02 पाठ्यक्रमों की मान्यता पी.जी.टी. शिक्षक नियुक्ति हेतु अनुमान्य की जा चुकी है।**

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–66/2024..2243../ दिनांक 29/07/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(35)

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

953
28/07/2024

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 30.07.2024 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–27

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	**माननीय विभागीय मंत्री**
1.	क्या यह बात सही कि वर्तमान सरकार द्वारा सिमडेगा जिलान्तर्गत जलडेगा प्रखंड में कुटुनिया पंचायत के ग्राम–लोमगा टोली में सरकार द्वारा राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय संचालित है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय को अपना स्कूल भवन नहीं रहने के कारण वृक्षों के छाँव में विद्यालय का पठन–पाठन का कार्य चल रहा है;	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची के ज्ञापांक 2758 दिनांक 26.07.2024 एवं जिला शिक्षा अधीक्षक–अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना, सिमडेगा के पत्रांक 1404 दिनांक 26.07.2024 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार विद्यालय का अपना भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हो सका है, वर्तमान में विद्यालय प्रबंधन समिति के पूर्व अध्यक्ष के घर के बरामदा (50 फीट x 7 फीट) में विद्यालय संचालित होता है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय लोमगा टोली को इस चालू वित्तीय वर्ष में इस विद्यालय को अपना भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	संबंधित विद्यालय के पोषक क्षेत्र में विद्यालय हेतु भूमि की उपलब्धता होने पर विद्यालय भवन निर्माण का कार्य कराया जा सकेगा।

Arun 28.07.24
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक :16/वि2–18/2024...953./ रॉंची, दिनांक...28/07/2024...

प्रतिलिपि : 200 प्रतियाँ सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3205 दिनांक 24.07.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Arun 28.07.24
सरकार के अवर सचिव

Khurshid Alam C

(37)

श्री अमित कुमार मण्डल, मा० स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–30.07.2024 को पृच्छित अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–42 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री अमित कुमार मण्डल, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के विभागीय स्तर पर प्रत्येक प्रखण्ड/अंचल स्तर पर स्टेडियम का निर्माण किया जाता है एवं भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने का निर्देश है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 के आलोक में अंचल कार्यालय, पथरगामा में मौजा–चुनाकोठी में जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव जिला प्रशासन गोड्डा को भेजा है, उसके बावजूद विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है;	उपायुक्त, गोड्डा के कार्यालय पत्रांक–772/रा०, दिनांक–11.07.2022 के द्वारा पथरगामा अंचल अंतर्गत मौजा–चुनाकोठी में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विभाग को प्रेषित की गई थी। उक्त प्रस्ताव के आलोक में विभागीय पत्रांक–1999, दिनांक–20.12.2023 के द्वारा उपायुक्त, गोड्डा को उत्तर प्रतिवेदित किया गया कि पथरगामा में पूर्व से स्टेडियम स्वीकृत होने के कारण पुनः पथरगामा प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम स्वीकृत करना तत्काल संभव नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त खण्डों के आलोक में पथरगामा में स्टेडियम का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 में एस०बी०एस०एस०पी०एस० महाविद्यालय पथरगामा (गोड्डा) परिसर में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी गई हैं। विभाग द्वारा एक प्रखण्ड में एक ही प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम स्वीकृत किया जाना निर्णित है। विशेष परिस्थिति में ही उक्त प्रखण्ड में खेल संस्कृति, उपयुक्तता एवं आवश्यकता का आकलन करते हुए पुनः प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण करने पर निर्णय लिया जाता है एवं बजट उपलब्धता के आधार पर नियमानुकूल अग्रतर कार्रवाई की जाती है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक - पर्य०/वि०स०–26/2024 1174/ राँची, दिनांक 29.07.2024

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–3250/वि०स०, दिनांक–25.07.2024 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/07/24

सरकार के संयुक्त सचिव

38

2240
29/07/2024

श्री लोबिन हेम्ब्रम, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 30.07.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–16

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य की राज्य में 190 स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त अनुदानित इंटर कॉलेज संचालित है तथा 80 अस्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर कॉलेज स्थायी प्रस्वीकृति की प्रत्याशा में हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में 190 स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय हैं, जिनके द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अनुदान हेतु समर्पित आवेदन के आलोक में नियमानुसार अनुदान दिया जाता है। उनमें संचालन हेतु शासी निकाय का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त भी राज्य में कई स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर महाविद्यालय हैं, जिनके द्वारा प्रस्वीकृति की शर्त्तों का पालन संबंधी प्रतिवेदन/अनुशंसा उपलब्ध होने पर उनकी प्रस्वीकृति के संबंध में कार्रवाई की जा सकेगी।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित कॉलेजों के पास बेहतर आधारभूत संरचना एवं *Teaching-Non Teaching Staff* हैं, जो सरकार द्वारा अधिग्रहण की सभी अहर्त्तायें पूर्ण करती है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची द्वारा स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर कॉलेजों को आधारभूत संरचना एवं संसाधनों आदि की जांच कर स्थायी प्रस्वीकृति की अनुशंसा की जाती है। तदोपरान्त राज्य सरकार द्वारा स्थायी प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है। यह उल्लेखनीय है कि राजकीय संकल्प अधिसूचना सं. 129 दिनांक 30.11.1981 के द्वारा माध्यमिक विद्यालयों की प्रस्वीकृति के संबंध में राज्य सरकार द्वारा नीति निर्धारित की गयी थी कि माध्यमिक विद्यालयों की प्रस्वीकृति एवं अधिग्रहण की प्रक्रिया एक–दूसरे से बिल्कुल अलग होगी तथा विद्यालय की प्रस्वीकृति के पश्चात् राज्य सरकार बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम की धारा–19 के अंतर्गत बिना किसी वित्तीय भार के प्रस्वीकृति प्रदान करेगी तथा ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा को भी सरकार अधिग्रहित नहीं करेगी। उपर्युक्त संकल्प के प्रावधान राज्य गठन के उपरांत भी हू–बहू लागू हैं एवं संप्रति स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त अनुदानित इंटर कॉलेजों के अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।
3	क्या यह बात सही है कि वर्णित विषय का लाभ राज्य के सुदूर इलाकों के आदिवासी–पिछड़े वर्ग के 6.50 लाख छात्र–	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालयों के अतिरिक्त अन्य कोटि के भी कई

	छात्राओं को मिल रहा है;	महाविद्यालय एवं +2 उच्च विद्यालयों में छात्र/छात्राएँ अध्ययन करते हैं।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित विषय को गंभीरता के मद्येनजर स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त *INTER COLLEGES* का अधिग्रहण करने एवं *Teaching-Non Teaching Staff* को यथावत रखने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में सन्निहित है।

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–65/2024 2240 /   दिनांक 29/07/2024

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

39

2233
29/07/2024

श्री विकास कुमार मुण्डा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 30.07.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–13

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची द्वारा बारहवीं में नामांकन हेतु सभी विद्यालयों में सीट को काफी कम कर दिया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि इंटर महाविद्यालयों में मूल रूप से सीटों का निर्धारण पूर्व से निम्नवत् रहा है – 1. **अंगीभूत महाविद्यालय** – 512 सीट (प्रत्येक संकाय), 2. **डिग्री संबद्ध महाविद्यालय**– 384 सीट (प्रत्येक संकाय), 3. **स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय**– 384 सीट (प्रत्येक संकाय) एवं 4. **स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर महाविद्यालय**– 128 सीट (प्रत्येक संकाय) नई शिक्षा नीति, 2020 में कक्षा 09 से 12 तक को माध्यमिक स्तर की शिक्षा के अन्तर्गत रखा गया है। अंगीभूत एवं डिग्री संबद्ध महाविद्यालयों में नामांकन के संदर्भ में दिनांक 28.06.2023 को विभागीय बैठक में निर्णय लिया गया था कि अंगीभूत एवं डिग्री सम्बद्ध महाविद्यालयों में सत्रवार नामांकन प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से कम करना होगा, अर्थात् नामांकन के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या में कटौती करते हुए अगले दो–तीन सत्रों के पश्चात् +2 स्तर की शिक्षा को पूरी तरह पृथक करना आवश्यक होगा। सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के ज्ञापांक 2715 दिनांक 14.12.2023 द्वारा झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची को स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय में नामांकन के संबंध में प्राप्त दिशा–निर्देश के मद्देनजर झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची द्वारा महाविद्यालयों में वर्द्धित सीट को समाप्त करते हुए वर्त्तमान सत्र से निर्धारित सीट पर नामांकन लेने का निदेश दिया गया है, जो निम्नवत् है :– 1. **अंगीभूत महाविद्यालय** – प्रत्येक संकाय में 384 सीट, 2. **डिग्री सम्बद्ध महाविद्यालय** – प्रत्येक संकाय में 256 सीट, 3. **स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय** – प्रत्येक संकाय में 384 सीट एवं **4. स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर महाविद्यालय** – प्रत्येक संकाय में 128 सीट।
2	क्या यह बात सही है कि सीटों को कम करने के कारण काफी बच्चे बारहवीं में नामांकन नहीं करवा पा रहे हैं, परिणामतः उनका वर्ष बर्बाद हो रहा है;	अस्वीकारात्मक। राज्य में स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय के अतिरिक्त कई +2 उच्च विद्यालय भी संचालित हैं, जहां इंटरमीडिएट का पठन–पाठन होता है।

3	क्या यह बात सही है कि वैसे बच्चे, जो नामांकन नहीं करवा पा रहे हैं, उनके लिए विभाग के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है;	अस्वीकारात्मक। उत्तर क्रमांक–2 में सन्निहित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बारहवीं में सीटों की संख्या पर्याप्त करने का विचार रखती है, ताकि एक भी बच्चा नामांकन से वंचित ना हो, यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालयों में वर्त्तमान सत्र में सीट वृद्धि के प्रस्ताव पर समीक्षोपरांत विभागीय स्तर पर पत्रांक 2021 दिनांक 28.07.2024 निर्गत है, जिसके द्वारा स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालयों में सभी संकाय हेतु निर्धारित 384–384–384 सीटों में 01 यूनिट यानी 128 सीट की वृद्धि के फलस्वरूप सभी संकाय में 512–512–512 सीट या पूर्व में स्वीकृत यूनिट/सीट में जो भी कम हो, की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

29/07/24
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–67/2024-2233/ दिनांक 29/07/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/24
सरकार के अवर सचिव।

(49)

2230
29/07/2024

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 30.07.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–32

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित व्यावसायिक शिक्षा का संचालन झारखण्ड में झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षिण सहयोगियों के सहयोग से कराया जा रहा है, जो वर्ष 2015–16 से संचालित है व वर्त्तमान में राज्य के 446 सरकारी प्लस टू विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा जारी है;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची के ज्ञापांक 2762 दिनांक 26.07.2024 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार राज्य के 446 सरकारी विद्यालयों, जिसमें माध्यमिक एवं +2 माध्यमिक विद्यालय सम्मिलित हैं, में व्यावसायिक शिक्षा संचालित है, जिसमें 11 व्यावसायिक ट्रेड में 892 प्रशिक्षकों के द्वारा व्यावसायिक शिक्षण/प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी +2 विद्यालय में कार्यरत प्रशिक्षकों की नियुक्ति एकरारनामा के आलोक में आउटसोर्सिंग के माध्यम से हुई है;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची के द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षकों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदाता कम्पनियों से कार्यक्रम अवधि विशेष के तहत् अधिकतम 04 वर्ष के लिए कार्यक्रम अवधि संचालन तक ली जाती हैं।
3	क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यों को व्यावसायिक शिक्षा संचालन एवं प्रशिक्षकों की नियुक्ति संबंधी दिशा निर्देश में प्रशिक्षकों की नियुक्ति राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा सीधी भर्त्ती करने अथवा राज्य के शिक्षा विभाग सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से प्रशिक्षकों की नियुक्ति करने का आदेश प्राप्त है;	व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षकों की सेवा केन्द्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के अंतर्गत ली जाती है। इनकी सेवा अधिकतम् 04 वर्षो तक ही व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम अंतर्गत ली जा सकती है। व्यावसायिक प्रशिक्षकों की सेवा चूँकि कार्यक्रम विशेष के अंतर्गत ली जाती है, इनकी नियुक्ति स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में नहीं की जा सकती।
4	क्या यह बात सही है कि व्यावसायिक प्रशिक्षक ठेका प्रथा होने के कारण मानदेय के भुगतान में काफी दिक्कत होती है वहीं वर्ष 2018–19 से अब तक मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हुई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। समग्र शिक्षा अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार उन्हें प्रतिमाह रु. 20,000/– प्रदान किया जाता है, जो इन्हें वित्तीय वर्ष 2018–19 से इसी दर से नियमित रूप से प्रदान किया जा रहा है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार देश के उन राज्यों के व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था का	उपरोक्त कंडिका–3 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

	अवलोकन करते हुए नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक शिक्षा को ठेका प्रथा से मुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	

29/07/24
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स. 01–62 / 2024 2230 / दिनांक 29/07/2024

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/24
सरकार के अवर सचिव।

41

श्री लोबिन हेम्ब्रम, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–30.07.2024 को पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–18 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिलान्तर्गत आमरापाड़ा अंचलाधीन 22 मौजा के लगभग 1000 एकड़ गैर मजरूआ अनाबाद जमीन को Forest Land घोषित कर में WBPDCL को Coal Mining के लिए Lease कर दिया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। पाकुड़ जिला अन्तर्गत अमड़ापाड़ा अंचल में कुल–1218 हे0 भूमि M/s WBPDCL को Coal mining के लिए Lease प्राप्त है। उक्त 1218 हे0 में वनभूमि 371.07 हे0 (अधिसूचित वनभूमि–314.71 हे0 तथा जंगल–झाड़ी भूमि 56.36 हे0) एवं गैर–वनभूमि 846.93 हे0 है। लीज में सम्मिलित 371.07 हे0 वनभूमि के अपयोजन प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् Stage-I की स्वीकृति दिनांक–14.12.2011 और Stage-II की स्वीकृति दिनांक–27.10.2022 को भारत सरकार से प्राप्त है। इसके क्रम में क्षतिपूरक वनरोपण के लिए कुल–1094.08 एकड़ गैर–वनभूमि M/s WBPDCL द्वारा उपलब्ध कराया गया है। उक्त कुल–1094.08 एकड़ क्षतिपूरक वनरोपण में पाकुड़ जिलान्तर्गत 793.03 एकड़, साहेबगंज जिलान्तर्गत 145.27 एकड़ एवं बोकारो जिलान्तर्गत 155.78 एकड़ गैर–वनभूमि है। सभी वर्णित गैर–वनभूमि को वन विभाग के पक्ष में Mutation करा लिया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित भूमि को वन भूमि घोषित करने के लिए Indian Forest Act-1927 के तहत् Gazette Notification जारी नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक। M/s WBPDCL को Coal Mining हेतु दिए गए Lease में सन्निहित 314.71 हे0 अधिसूचित वनभूमि पूर्व से ही भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत् अधिसूचित है। क्षतिपूरक वनरोपण के लिए प्राप्त गैर–वनभूमि को Indian Forest Act, 1927 के तहत् सुरक्षित वन (Protected Forest) के रूप में अधिसूचित करने की कार्रवाई की जा रही है।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड–02 में वर्णित विषय का अनुपालन नहीं होने से राज्य को प्रत्यक्ष रूप से 2000 करोड़ रूपये के राजस्व का हानि हुआ है तथा हाथियों की प्राकृतिक आवा–गमन के रास्ते बर्बाद कर दिये गये है,	अस्वीकरात्मक। क्षतिपूरक वनरोपण हेतु कुल–1094.08 एकड़ गैर–वनभूमि उपलब्ध कराने के क्रम में राज्य सरकार के मांग के अनुरूप राशि 44.07 करोड़ भारत सरकार के कैम्पा खाते में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गई है। गैर–वनभूमि का वन विभाग के पक्ष में Mutation हो चुका है। उक्त गैर–वनभूमि पर वनरोपण कराया जायेगा जिससे हाथियों का पर्यावास बढ़ेगा और हाथियों का प्राकृतिक आवागमन सुगम होगा।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विषय की गंभीरता को देखते हुए मामले की उच्चस्तरीय जाँच कर अवैध खनन् को तत्काल बन्द करने, Elephant Corridor को पुर्नजीवित करने तथा संलिप्त दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकरात्मक। लीज में दिये गये वनभूमि में अवैध खनन् का कोई मामला नहीं है एवं पाकुड़ जिला अन्तर्गत कोई भी Elephant Corridor अधिसूचित नहीं है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0अल्पसूचित प्रश्न–39/2024–2983 व0प0, दिनांक–29/7/24

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–3176, दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/24

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

(47)

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, मा० स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–30.07.2024 को पृच्छित अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–03 का उत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के खिलाड़ियों ने देश एवं विदेश में राज्य का मान बढ़ाया है;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के गठन के बाद विभिन्न आयु वर्ग (15–17 वर्ष) में अकादमी के खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न खेल स्पर्द्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अब तक कुल 10 (दस) अंतरराष्ट्रीय पदक प्राप्त करते हुए देश एवं राज्य का मान बढ़ाया है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में खेलों के विकास के लिए झारखण्ड स्टेट स्पोर्ट्स सोसाईटी का गठन वर्ष 2016 में की गई है;	झारखण्ड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी का गठन जून 2015 में की गई है जिसका परिचालन राज्य सरकार एवं सी०सी०एल०, राँची के द्वारा किया जा रहा है।
3	क्या यह बात सही है कि खेल एकेडमी में कोच नहीं रहने के कारण नये खिलाड़ियों को सही प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है;	वर्ष 2016 एवं 2017 में प्रशिक्षकों को विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु 03 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। समयावधि के उपरान्त खेल प्रशिक्षक SAI एवं अन्य राज्यों में चयनित होने के कारण अकादमी छोड़ चुके है। प्रशिक्षण बाधित न हो इसके लिए कुछ प्रशिक्षकों को अकादमी में उनकी योग्यता अनुसार दैनिक रूप में रखा गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शीघ्र राज्य में विशेषज्ञ कोच की नियुक्ति का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्ष 2023–24 में JSSPS की New Recruitment Policy पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है। उक्त New Recruitment Policy के अनुरूप सभी खेल विधाओं में नए विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2024–25 में प्रस्तावित है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य० / वि०स०–24 / 2024 1173 राँची, दिनांक 29.07.2024

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–3171 / वि०स०, दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/07/24

सरकार के संयुक्त सचिव

(44)

2238
29/07/2024

डॉ. लम्बोदर महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 30.07.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–12

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के गोमिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय, हुरलुंग / चिदरी / होसिर / हजारी / रहावन / चुट्टे / झुमरा पहाड़ / बाँध / हुरदाग / झिरकी / कण्डेर / तिलैया / बड़कीसिधवारा / लालबाध / खखण्डा / डुमरी बिहार / केरी / कुरको / कथारा / टकाहा एवं चरगी को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित नहीं होने से हजारों छात्र– छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है;	अस्वीकारत्मक। वर्त्तमान में गोमिया प्रखंड अंतर्गत कुल 13 एवं कसमार प्रखंड अंतर्गत 12 तथा पेटरवार प्रखंड अंतर्गत 12 सरकारी उच्च विद्यालय संचालित हैं, जहाँ छात्र–छात्राओं हेतु माध्यमिक शिक्षा स्तर के पठन–पाठन की सुविधा है। क) उत्क्रमण हेतु मानक पूर्ण नहीं होने के कारण मध्य विद्यालय, होसिर, कथारा, खखण्डा, हुरदाग, हजारी, डुमरी बिहार के उच्च विद्यालय में उत्क्रमण का प्रस्ताव जिला स्तर से अनुशंसित नहीं है। ख) मध्य विद्यालय से उच्च विद्यालय में उत्क्रमण हेतु निर्धारित मान के अनुरूप प्रस्ताव नहीं रहने के कारण मध्य विद्यालय चुट्टे, झिरके, तिलैया, बड़की सिधावारा, लालबाँध, डुमरी, हुरलुंग, चिदरी, रहावन, बाँध, कण्डेर, कुडको, चरगी, केरी एवं टकाहा को उच्च विद्यालय में उत्क्रमण करने हेतु राज्यस्तरीय समिति की अनुशंसा प्राप्त नहीं है। ग) उत्क्रमित मध्य विद्यालय, झुमरा पहाड़ को विभागीय संकल्प सं. 629 दिनांक 21.02.2024 द्वारा उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालयों में उत्क्रमित करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–1 से स्थिति स्वतः स्पष्ट है।

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स. 01–68 / 2024 2238 / दिनांक 29/07/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(45)

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 30.07.2024 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न सं०–31 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है, कि पलामू जिला अंतर्गत पिपरा प्रखण्ड के कुंड पर पुनपुन नदी का उद्‌गम स्थल है,	1.	**आंशिक स्वीकारात्मक**
2.	क्या यह बात सही है, कि उपर्युक्त वर्णित पुनपुन नदी के उद्‌गम स्थल कुंड पर 100 वर्ष से भी अधिक पुराना शिव जी का मंदिर स्थापित है, जहाँ मकर सक्रांति, महाशिवरात्रि, श्रावण मास, छठ पुजा एवं कार्तिक पुर्णिमा के अवसर पर 25 से 30 हजार श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पधारते हैं, साथ में आम दिन भी 200 से 300 पर्यटक आते है,	2.	**आंशिक स्वीकारात्मक**
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिला अंतर्गत पिपरा प्रखण्ड के कुंड पर पुनपुन नदी उद्‌गम स्थल को पर्यटक क्षेत्र घोषित कर पर्यटकीय सुविधा बहाल करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	प्रश्नाधीन स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद व तदोपरांत राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाता है जिसके पश्चात उक्त स्थल के विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। विभागीय पत्रांक 1040 दिनांक 25.07.2024 द्वारा उक्त स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला पर्यटन संवर्धन समिति, पलामू को निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/19/2024......1181....... **/राँची, दिनांक**...29-07-2024...

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3209/वि०स०, दिनांक–24/07/2024 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/24

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

(46)

2239
29/07/2024

श्री रामचन्द्र सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 30.07.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–21

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अन्तर्गत बरवाडीह के पंचायत चुंगरू में संचालित राजकीय मध्य विद्यालय, नावाडीह एवं हरातु पंचायत में संचालित राजकीय मध्य विद्यालय, मुण्डू के छात्र–छात्राओं को वर्ग–8 में उत्तीर्णोपरान्त अग्रेतर शिक्षा हेतु लगभग 11–12 कि.मी. दूर परियोजना उच्च विद्यालय, छिपादोहर जाना पड़ता है, जिसके कारण आवागमन में स्थानीय छात्र–छात्राओं को काफी कठिनाई होती है;	स्वीकारात्मक। राजकीय मध्य विद्यालय, मुण्डू को उच्च विद्यालय में उत्क्रमण करने के लिए जिलास्तरीय समिति की अनुशंसा अप्राप्त है। राजकीय मध्य विद्यालय, नावाडीह को उच्च विद्यालय में उत्क्रमण करने हेतु लातेहार जिला से प्राप्त प्रस्ताव में निर्धारित मानक की स्थिति स्पष्ट नहीं रहने के कारण राज्यस्तरीय समिति की अनुशंसा अप्राप्त है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त वर्णित दोनों मध्य विद्यालयों को इसी वित्तीय वर्ष उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	लातेहार जिला से इन दोनों विद्यालयों के संबंध में निर्धारित मानक के अनुरूप रहने से संबंधित जिलास्तरीय समिति की स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त होने पर राज्यस्तरीय समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जा सकेगा।

29.07.2024
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स. 01–60 / 2024 2239 / दिनांक 29/07/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.07.2024
सरकार के अवर सचिव।

(48)

श्री सरयू राय, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–30.07.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–05

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– **मंत्री–**

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर की इंडियन केबल कंपनी (इंकैब) बंद है और कंपनी की सभी हल्की एवं भारी मशीनें चोरी हो गयी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सर्वश्री इंडियन केबल कंपनी (इंकैब) वर्त्तमान में निष्क्रिय है। इकाई में उत्पादन कार्य अप्रैल 2000 से बंद है एवं इकाई परिसर में कर्मचारियों का प्रवेश निषिद्ध है। स्थानीय गोलमुरी थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार हाल के वर्षों में इकाई द्वारा चोरी की कोई घटना/प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी गयी है।
2.	क्या यह बात सही है कि जिस 177 एकड़ भूमि पर इंकैब स्थापित थी, उस भूमि का लीज वर्ष 2019 में समाप्त हो गया है?	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि 177 एकड़ भू–खण्ड पर केबुल कारखाना या अन्य उद्योग अथवा नई आर्थिक गतिविधियां आरंभ करने से रोजगार सृजन होगा, परन्तु सरकार इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार केबुल कंपनी का पुर्नद्धार करने मुक्त लीज भूमि को कब्जा में लेकर नये उद्योग आरंभ करने तथा वहां के आवासितों के घर–घर में तथा आवासी परिसर में समस्त जन–सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	NCLT कोलकाता के द्वारा इस कंपनी को दिनांक–07.02.2020 को दिवालिया घोषित कर दिया गया है एवं श्री पंकज कुमार टिबरेवाल को Resolution Professional के रूप में नियुक्त किया गया है। NCLT में गत सुनवाई दिनांक–23.02.2024 को हुई है। Resolution Plan ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है जो कि माननीय न्यायालय NCLT कोलकाता में अनुमोदन हेतु लंबित है। NCLT कोलकाता के अनुमोदनोपरांत Resolution Plan के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करना नियमसंगत होगा।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–14/2024 950 /राँची, दिनांकः–29/07/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3174 दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/24

सरकार के अवर सचिव
उद्योग विभाग।

श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–30.07.2024 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–36

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें किः–

<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में वर्तमान में झारखण्ड स्टेट सैंड माइनिंग पॉलिसी, 2017 लागू है, जिसके अंतर्गत केटेगरी–1 में 235 बालू घाट और केटेगरी–2 में 444 बालू घाट हैं, जिसमें मात्र 21 बालू घाट ही वैध हैं, जिनसे राज्यभर में बालू का वैध खनन हो रहा है तथा शेष बालू घाटों में JSMDC के माध्यम से टेंडर, माइनिंग प्लान Environmental Clearance और Consent to Operate की प्रक्रिया पूर्ण होने से इन बालू घाटों में वैध खनन बंद है, जिस कारण धड़ल्ले से इन बालू घाटों से अवैध खनन और उनका भंडारण तथा परिवहन, झारखण्ड के विभिन्न जिलों और पड़ोसी राज्यों में हो रहा है और इसी कारण राज्यभर में क्रमशः वर्ष–2019–20 में 786 FIR और 3003 वाहनों की जब्ती, 2020–21 में 308 FIR और 888 वाहनों की जब्ती, 2021–22 में 309 FIR और 1082 वाहनों की जब्ती, 2022–23 में 1621 FIR और 5847 वाहनों की जब्ती तथा 2023–24 में 1357 FIR और 3657 वाहनों की जब्ती हुई है, जबकि प्रत्येक वर्ष 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक करीब 4 महीने नदियों से बालू के उठाव पर NGT की रोक रहती है;</td><td>वस्तुस्थिति यह है कि Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 दिनांक–18.8.2017 से प्रभावी है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (बालू) के अनुसार राज्य अन्तर्गत Category-1 के 427 बालू घाट तथा category-II के 444 बालू घाट हैं।
JSMDCL द्वारा संचालित/संचालित किए जाने वाले बालू घाटों की विवरणी निम्नवत् हैः–
<table>
<tr><th>क्र0</th><th>बालू घाट की विवरणी</th><th>संख्या</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Category-II बालू घाट</td><td>444</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Category-II के चालू बालू घाट</td><td>23</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Category-II के बालू घाटों के लिए MDO चयनित</td><td>256</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>MDO जिनके साथ इकरारनामा निष्पादित किया गया है।</td><td>148</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त</td><td>35</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए निर्गत ToR</td><td>08</td></tr>
</table>
वर्तमान में माननीय NGT के आदेश के अनुपालन में मॉनसून अवधि (10 जनू से 15 अक्टूबर तक) नदी से बालू के उत्खनन पर पूर्णतः रोक है। मॉनसून अवधि में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा बालू खनिज की आपूर्ति की जा रही है।
वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक बालू खनिज के अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन के विरूद्ध कृत कार्रवाई निम्नवत हैः–
<table>
<tr><th>वित्तीय वर्ष</th><th>जप्त वाहन की संख्या</th><th>FIR की संख्या</th><th>वसूली गई जुर्माना की राशि (लाख रू० में)</th></tr>
<tr><td>2019–20</td><td>2237</td><td>448</td><td>172.75</td></tr>
<tr><td>2020–21</td><td>3217</td><td>448</td><td>346.04</td></tr>
<tr><td>2021–22</td><td>2608</td><td>441</td><td>417.62</td></tr>
<tr><td>2022–23</td><td>3574</td><td>875</td><td>595.78</td></tr>
<tr><td>2023–24</td><td>3459</td><td>1048</td><td>556.6</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में उक्त अनियमितता पर तत्काल रोक लगाते हुए इसके अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन में सम्मिलित व्यक्तियों और संलिप्त पदाधिकारियों के विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई करने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>राज्य में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु प्रत्येक जिला में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स (खनन) गठित है जिसके द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है। साथ ही समय–समय पर सभी जिलों के उपायुक्त एवं आरक्षी अधीक्षक को अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश भी दिया जाता है।
चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में बालू खनिज के अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन के विरूद्ध प्राप्त प्रतिवेदनानुसार कृत कार्रवाई निम्नवत हैः–
<table>
<tr><th>जप्त वाहन की संख्या</th><th>FIR की संख्या</th><th>वसूली गई जुर्माना की राशि (लाख रू० में)</th></tr>
<tr><td>1189</td><td>301</td><td>256.62</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–वि०स०(अ0सू0)–32/2024 1243/एम०, राँची, दिनांकः– 29/07/24

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–3254 दिनांक–25.07.2024 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/2024

सरकार के संयुक्त सचिव

50

2221
29/07/2024

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 30.07.2024 को पूछा जानेवाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–37
क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने को कृतसंकल्प है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ प्रखण्ड अन्तर्गत +2 उच्च विद्यालय, सारूकुदर में *T.G.T.* एवं *P.G.T.* के तहत् दो शिक्षकों की नियुक्ति की गई है परन्तु उन दोनों शिक्षकों को क्रमशः हजारीबाग एवं खूँटी में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है, फलतः कक्षा 6 से 12 तक में नामांकित 737 छात्र लगभग दो वर्षों से गणित एवं विज्ञान की पढ़ाई से वंचित हो जा रहे हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय सारुकुदर में माध्यमिक स्तर के कुल–08 शिक्षक पदस्थापित है। निदेशालयीय आदेश ज्ञापांक –2642 दिनांक–12.10.2022 के द्वारा श्री अनुज कुमार *TGT* (गणित) को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बालिका, हजारीबाग में प्रतिनियुक्त किया गया है एवं श्रीमती पूनम कुमारी, नवनियुक्त *PGT* (गणित) का निदेशालयीय आदेश ज्ञापांक 1903 दिनांक 15.07.2024 द्वारा मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, खूँटी में प्रतिनियुक्त किया गया है। उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय सारुकुदर विष्णुगढ़ में कक्षा 06 से 12 तक –कुल 742 (कक्षा–01 से 05 तक–258, कक्षा–06 से 08 तक–180 एवं कक्षा–09 से 12 तक–562) छात्र/छात्राएँ नामांकित हैं।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार +2 उच्च विद्यालय, सारूकुदर में पदस्थापित शिक्षकों का प्रतिनियोजन रद्द करते हुए अन्य विषयों के शिक्षकों का पदस्थापन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	विभागीय पत्रांक 2132 दिनांक 24.06.2024 द्वारा राज्य के 80 उत्कृष्ट एवं 325 प्रखण्ड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति हेतु पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक 1837 दिनांक 06.07.2023 को निरस्त किया गया है। उक्त के आलोक में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर से श्री अनुज कुमार, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की प्रतिनियुक्ति रद्द करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची के आदेश सं. 1903 दिनांक 15.07.2024 द्वारा श्रीमती पूनम कुमारी नवनियुक्त पी.जी.टी. विषय–गणित, जो सी.बी.एस.ई. बोर्ड से उत्तीर्ण हैं, की प्रतिनियुक्ति आदर्श +2 उच्च विद्यालय, खूँटी (मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय) में नीतिगत निर्णय के तहत् किया गया है। पी.जी.टी. शिक्षकों की नियुक्ति/पदस्थापन के उन्तर्गत गणित विषय में पी.जी.टी. शिक्षक उपलब्ध रहने पर पदस्थापन किया जा सकेगा।

सरकार के अवर सचिव
29/7/24

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स. 01–72 / 2024 2229 / दिनांक 29/07/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/24

सरकार के अवर सचिव।

(51)

डॉ० लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 30.07.2024 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न सं०–11 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		**मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।**
1.	क्या यह बात सही है, कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम तेनुघाट डैम को पतरातु डैम की भांति पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु योजना का सर्वेक्षणोपरान्त प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है जिसकी तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति विभाग स्तर पर लंबित है जिसके कारण योजना की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हो पा रहा है,	1.	**आंशिक स्वीकारात्मक** जिले से प्राप्त प्राक्कलन के आलोक में विभागीय पदाधिकारियों व जिला के पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षणोपरांत संशोधित डी०पी०आर०/प्राक्कलन तैयार करने हेतु झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि०, राँची से अनुरोध किया गया है। झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि०, राँची के पत्रांक 1490, दिनांक 03.07.2024 द्वारा बोकारो जिलान्तर्गत तेनुघाट में पर्यटकीय सुविधाओं के विकास संबंधी कार्य का DPR तैयार करने हेतु Gourav Home Point, Ranchi को कार्यादेश निर्गत किया गया है। विभिन्न समीक्षात्मक बैठकों में उक्त योजना हेतु आवश्यक भूमि के चिन्हितीकरण हेतु झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि०, राँची एवं जिला स्तर पर आवश्यक निदेश दिया गया है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तेनुघाट डैम को पतरातु डैम की भांति पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु विभाग में समर्पित प्राक्कलन स्वीकृति देना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	2.	तेनुघाट डैम–श्रेणी B का पर्यटक स्थल अधिसूचित है। उक्त पर्यटक स्थल पर आवश्यक पर्यटकीय विकास/सौंदर्यीकरण हेतु विभागीय पत्रांक 1140, दिनांक 19.06.2023, पत्रांक 2256, दिनांक 15.12.2023 एवं पत्रांक 1141, दिनांक 25.07.2024 द्वारा पर्यटन निदेशालय, झारखण्ड एवं उपायुक्त, बोकारो से भूमि की विवरणी/भूमि उपलब्धता संबंधित प्रतिवेदन माँगा गया है। वांछित प्रतिवेदन एवं प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत योजना स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/18/2024 1178 **/राँची, दिनांक** 29-07-2024

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3169/वि०स०, दिनांक–24/07/2024 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/24
सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

(52)

श्री राजेश कच्छप, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–30.07.2024 को पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–39 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह सही है कि राज्य में विकास कार्यों के तहत् वनों/वृक्षों की अंधाधूंध कटाई की जा रही है;	अस्वीकारात्मक।
2– क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित कटाई के बदले क्षतिपूरक वनरोपण अनिवार्य है, जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है;	वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में अपयोजित वनभूमि के विरूद्ध प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए समतुल्य गैर वनभूमि अथवा दोगुणे अवकृष्ट वनभूमि में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि से क्षतिपूरक वनरोपण कराया जाता है। हस्तानान्तरित वनभूमि में वृक्षों की कटाई हेतु प्रक्रिया निर्धारित है।
3– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उच्च स्तरीय जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई करने सह क्षतिपूरक वनरोपण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 एवं 2 में उत्तर अंतर्निहित है। वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। विगत पाँच वर्षों में क्षतिपूरक वनारोपण के अन्तर्गत सम्पादित कराये गये वृक्षारोपण का सारांश निम्नवत् है :–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	ब्लॉक वृक्षारोपण (रकबा हे0 में)	रोपित पौधों की संख्या
1	2019-20	3687.253	52,55,842
2	2020-21	2734.493	44,87,353
3	2021-22	3324.858	48,39,573
4	2022-23	3202.833	49,32,992
5	2023-24	2789.837	41,07,463
	योगः–	15739.274	2,36,23,003

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0अल्पसूचित प्रश्न–42/2024– 2986 व0प0, दिनांक– 29/7/24

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–3252, दिनांक–25.07.2024 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/24

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

(53)

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–30.07.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–20

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– **मंत्री–**

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद अंचल के कुर्मीपुर ग्राम में राईस मिल की स्थापना हेतु तीन एकड़ भूमि राँची क्षेत्रीय औद्योगिक विकास प्राधिकार (जियाडा) को उपायुक्त, पलामू के कार्यालय के पत्रांक–1737, दिनांक–27.10.2021 के द्वारा हस्तांतरित कर दी गई है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त वर्णित राईस मिल की स्थापना हेतु सभी औपचारिकताएँ पूर्ण होने के बाद भी दिनांक–20 जुलाई 2024 तक राईस मिल की स्थापना नहीं की गई है।	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद अंचल के कुर्मीपुर ग्राम में राईस मिल की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपायुक्त, पलामू के द्वारा हस्तांतरित भूमि को इस प्राधिकार के पत्रांक–LA/ RNC/ SW/ 00847/2022 दिनांक– 03.03.2022 के द्वारा विहित प्रक्रिया अंर्तगत सर्वश्री अर्चना राईस मिल को राईस मिल की स्थापना हेतु भूमि आवंटित किया गया था। आवंटित भूमि का भौतिक प्रभार सौपने के क्रम में ज्ञात हुआ कि भू–खण्ड सं0–2285 रकवा–0.61 एकड़ रैयती भूमि है। इस संदर्भ में प्राधिकार के द्वारा उक्त हस्तांतरित भूमि के स्थान पर अन्यत्र भूखण्ड उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त, पलामू से अनुरोध किया गया। तदोपरांत उपायुक्त, पलामू के द्वारा अन्यंत्र भूखण्ड चिन्हित की गयी है। चिन्हित भूमि का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01 / विधानसभा–03–13 / 2024 951 / राँची, दिनांकः– 29/07/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3214 दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/24

सरकार के अवर सचिव
उद्योग विभाग।

(54)

श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–30.07.2024 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–35

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यहबात सही है कि संथाल परगना के अधिकतर जिले जैसे साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, इत्यादि और राजधानी राँची, रामगढ़ एवं पलामू सहित झारखण्ड के अधिकतर जिलों में अवस्थित वर्षों पुराने पहाड़ों का विगत 4.5 वर्षों में अवैध खनन के कारण अस्तित्व खत्म हो गया है और इन पहाड़ों की जगह अब बड़े–बडे गढे बचे है, जिनमें से प्रमुख साहिबगंज का नींबू पहाड़, रांची के नामकुम के राजाउलातु, उनीडीह, महादेव टोली पहाड़, हेहल का मुडला पहाड़, बरियातु पहाड़, बजरा पहाड़, ओरमांझी–रामगढ़ स्थित चुटूपालू घाटी के खिराबेड़ा के पहाड़, बहरागोडा का ज्योति पहाड़, इत्यादि है, जहाँ से अरबों रूपये के पत्थरों–स्टोन चिप्स की तस्करी झारखण्ड के विभिन्न जिलों सहित पड़ोसी राज्यों में की गई है तथा अब इन पहाड़ों के गायब होने पर पहाड़ों की उक्त खाली जमीन को समतल कर कई लोग अवैध कब्जा कर घर और कॉलोनियां बना रहे है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत सभी प्रकार के अनापत्ति यथा–अंचलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र, वन प्रमण्डल पदाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र, ग्राम सभा की सहमति, खनन योजना का अनुमोदन एवं SEIAA द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र, के आलोक में खनन पट्टे की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदान की जाती है तथा झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा निर्गत CTE एवं CTO के शर्तों के अनुसार खनन कार्य किया जाता है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक जनहित में उक्त वर्षो पुराने पहाड़ों को अवैध खनन और परिवहन कर पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले पत्थर माफियाओं और इसमें संलिप्त पदाधिकारियों के विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	राज्य में पत्थर सहित सभी खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु जिला स्तर पर खनन टास्क फोर्स गठित है। टास्क फोर्स द्वारा अवैध खनन/भंडारण/परिवहन के विरूद्ध नियमित कार्रवाई की जाती है। विगत वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में राज्य में पत्थर के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध कृत कार्रवाई निम्नवत् है :–

वित्तीय वर्ष	प्राथमिकी की संख्या	जप्त वाहनों की संख्या	वसूली गई राशि (लाख रू० में)
2022–23	403	1671	556.05
2023–24	335	1285	431.61

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–वि०स०(अ0सू0)–31/2024 1244 /एम०, राँची, दिनांकः–29/07/24

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–3216 दिनांक–24.07.2024 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/2024

सरकार के संयुक्त सचिव

(55)

2232
29/07/2024

श्री नवीन जायसवाल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 30.07.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–44

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक 2122/01.08.2021 द्वारा राज्य के प्राथमिक माध्यमिक एवं प्लस 2 विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को राज्यकर्मी माना गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य के समान, अंगीकृत झारखण्ड अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 2002 की धारा–09(1) के अंतर्गत राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय (सेवा शर्त्त) नियमावली गठित की जाती थी, फलस्वरूप दिनांक 01.03.2016 के पूर्व तक राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों/कर्मियों हेतु अलग–अलग सेवाशर्त्त नियमावली गठित थी। पंचम केन्द्रीय वेतन पुनरीक्षण के पूर्व वेतन पुनरीक्षण हेतु अलग–अलग संकल्प भी निर्गत हैं। झारखण्ड सरकार, विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना सं. 57 दिनांक 31.12.2014 द्वारा अधिसूचित **झारखण्ड अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) अधिनियम, 2014 (झारखण्ड अधिनियम सं. 09, 2014)** के प्रावधान 09(1) के अनुसार राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया एवं सेवाशर्त्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अलग से अथवा अन्य कोटि के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की नियुक्ति प्रक्रिया एवं सेवाशर्त्त के साथ **समेकित रूप से भारत के संविधान की धारा–309 के तहत् या अन्य समुचित प्रावधानों के तहत् नियमावली गठित करते हुए किया जा सकेगा।** अतएव् पत्रांक 2122 दिनांक 01.08.2022 में अंकित किया गया है कि राजकीयकृत/प्रोजेक्ट मध्य/माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए **झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली, 2015** (अधिसूचना सं. 434 दिनांक 01.03.2016, जो संविधान के अनुच्छेद–309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों अंतर्गत गठित है) अधिसूचित है।
2	क्या यह बात सही है कि कल्याण विभाग सहित नेतरहाट स्कूल के शिक्षकों एवं अन्य राज्यकर्मियों को *MACP* का लाभ दिया जाता है परन्तु राज्य के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षक *MACP* से वंचित हैं;	स्वीकारात्मक। वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प सं. 2981/वि. दिनांक 01.09.2009 के परिशिष्ट–I की कंडिका–16 में प्रावधान है कि *MACP* योजना का लाभ राजकीयकृत विद्यालय/अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों/ *UGC/AICTE/NCERT* आदि वेतनमान् प्राप्त करने वाले शिक्षकों/पदाधिकारियों को देय नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसे कर्मी, जिनके लिए अलग से किसी विशेष प्रोन्नति योजना का प्रावधान पूर्व से किया गया है, उन्हें भी इस योजना का लाभ देय नहीं है। **झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली, 2015** (अधिसूचना सं. 434 दिनांक 01.03.2016) के नियम–6(*iii*) में भी स्पष्ट प्रावधान अंकित है कि इस नियमावली के अधीन नियुक्त होने वाले शिक्षकों को *ACP/ MACP* का लाभ देय नहीं होगा।
3	क्या यह बात सही है कि	बिहार राज्य में राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में उक्त संकल्प द्वारा राज्य के शिक्षकों को भी अन्य राज्यकर्मी के समान ही

विभिन्न शिक्षक संगठन एवं प्रतिनिधियों के मांग के आधार पर बिहार राज्य में कार्यरत शिक्षकों के अनुरूप *MACP* का लाभ देने हेतु मा.शि., झारखण्ड, राँची के पत्रांक 2504 / 13.09. 2023 के आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार का संकल्प संख्या 554 / 06.03.2019 एवं आदेश संख्या–68 दिनांक 26.01. 2020 विभाग को प्राप्त हो चुका है, परन्तु उक्त पत्र के आलोक में अभी तक शिक्षकों को *MACP* देने का कार्रवाई नहीं की गई है;

10, 20 एवं 30 वर्षों की सेवा के उपरांत *MACP* का लाभ दिया गया है।

झारखण्ड राज्य में राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 660 / F दिनांक 28.02.2009 द्वारा राज्य के राजकीयकृत / सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को केन्द्र सरकार के षष्ठ पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान् के समान हू–बहू उत्क्रमित वेतनमान् का लाभ भी दिनांक 01.01.2006 की तिथि से प्रदान किया गया है, जो संबंधित संकल्प के पृष्ठ संख्या 93 पर अंकित है। साथ ही उन्हें प्रत्येक पद हेतु वरीय एवं प्रवरण वेतनमान् का भी लाभ देय है, यथा –

शिक्षक पद	ग्रेड	दिनांक 01.01.2006 को अपुनरीक्षित वेतनमान्	उत्क्रमित एवं अपुनरीक्षित वेतनमान	दिनांक 01.01.2006 को पुनरीक्षित वेतनमान एवं ग्रेड पे	दिनांक 01.01.2016 से देय सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान
1	2	3	4	5	6
प्राथमिक / इंटर प्रशिक्षित शिक्षक	III	4500–7000	6500–10500	9300–34800 +4200 GP	**35,400–1,12,400**
	II	5000–8000 5500–9000	7450–11500	9300–34800 +4600 GP	**44,900 –1,42,400**
	I	5500–9000 6500–10500	7500–12000	9300–34800 +4800 GP	**47,6002–1,51,100**
स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक	III	5500–9000	7450–11500	9300–34800 +4600 GP	**44,900 –1,42,400**
	II	6500–10500	7500–12000	9300–34800 +4800 GP	**47,6002–1,51,100**
	I	7500–12000	8000–13500	9300–34800 +5400 GP	**53,100 –1,67,800**
स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक	III	6500–10500	7500–12000	9300–34800 +4800 GP	**47,6002–1,51,100**
	II	7500–12000	8000–13500	15600–39100 +5400GP	**56,100 –1,77,500**
	I	8000–13500	10000–15200	15600–39100 +6600 GP	**67,700 –2,08,700**

केन्द्र सरकार के शिक्षकों के अनुरूप राज्य सरकार के शिक्षकों को उत्क्रमित, वरीय एवं प्रवरण वेतनमान का लाभ दिनांक 01.01.2006 की प्रभावी तिथि से देय है एवं दिनांक 01.01.2006 अथवा दिनांक 01.01. 2006 के उपरांत नियुक्ति अथवा प्रोन्नति की स्थिति में उस तिथि से उन्हें दिया जा रहा है।

वर्त्तमान में तद्नुरूप प्रतिस्थानी सप्तम पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान् का लाभ राज्य के सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को देय है, जो उपर्युक्त तालिका के कॉलम–6 में अंकित है।

उन्हें ए.सी.पी. अथवा एम.ए.सी.पी. का लाभ देय एवं अनुमान्य नहीं है।

वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा यह भी परामर्श दिया गया है कि राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्रभावी झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति

		एवं सेवाशर्त्त नियमावली– 2015 की कंडिका 6(*i*) में प्रावधानित है कि :– **केन्द्रीय विद्यालय संगठन नियमावली एवं वित्त विभाग, झारखण्ड के दिशा–निर्देशों के अनुरूप नियम–3 में दर्शायी गयी श्रेणियों की मूल कोटि के वेतनमान् में 12 वर्षों की संतोषप्रद सेवा के बाद उस श्रेणी का वरीय वेतनमान् देय होगा। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की श्रेणी में प्रवरण वेतनमान् का लाभ मूल कोटि में स्वीकृत पदो के 20: अनुमान्य पद के विरुद्ध वरीय वेतनमान् में न्यूनतम् 12 वर्षों की सेवा करने वाले शिक्षकों को वरीयता क्रम देय होगा। प्रवरण वेतनमान में राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण नीति का अनुसरण किया जायेगा।** एवं कंडिका–6(*iii*) में निम्न प्रावधान अंकित है :– **इस नियमावली के अधीन नियुक्त होने वाले शिक्षकों को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. का लाभ देय नहीं होगा।** उक्त से स्पष्ट है कि इन शिक्षकों को वरीय वेतनमान् एवं प्रवरण वेतनमान में प्रोन्नति की सुविधा उपलब्ध है। अतः इन्हें ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. की अनुमान्यता नहीं है। स्पष्टतः +2 उच्च विद्यालय के शिक्षकों हेतु भी उत्क्रमित, वरीय एवं प्रवरण वेतनमान का लाभ दिनांक 01.01.2006 की प्रभावी तिथि से देय है। उन्हें भी ए.सी.पी. अथवा एम.ए.सी.पी. का लाभ देय एवं अनुमान्य नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक एवं प्लस 2 विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को *MACP* देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

29/07/24
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–71/2024-2232/ दिनांक 29/07/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/24
सरकार के अवर सचिव।

56

श्री किशुन कुमार दास, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 30.07.2024 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न सं०–41 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत प्रखण्ड गिद्धौर में माँ बागेश्वरी मंदिर एंव बलबल गर्म जलकुण्ड अवस्थित है एवं इस धार्मिक स्थल पर काफी दूर–दूर से हजारों की संख्या में पर्यटक दर्शन एवं पूजा हेतु आते है,	1.	स्वीकारात्मक
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त खण्ड में वर्णित धार्मिक स्थल को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन स्थल घोषित करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	2.	प्रश्नाधीन सभी स्थल श्रेणी 'C' का पर्यटन स्थल अधिसूचित है। यहाँ आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकास/पर्यटकीय विकास हेतु विभागीय पत्रांक 1150, दिनांक 26.07.2024 द्वारा उपायुक्त, चतरा से प्रस्ताव व प्राक्कलन माँगा गया है। प्राक्कलन प्राप्त होने पर बजट उपलब्धता के अनुरूप आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/27/2024....1176..../**राँची, दिनांक**....29.07.2024....

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3249/वि०स०, दिनांक–25/07/2024 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/24

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

(58)

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

949
28/07/2024

श्री समीर कुमार मोहन्ती, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 30.07.2024 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–06

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	उत्तर माननीय विभागीय मंत्री
1.	क्या यह बात सही है कि झारखंड राज्य में कार्यरत पारा शिक्षक, सम्प्रति सहायक अध्यापकों के मानदेय में वृद्धि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में की गई है;	वस्तुस्थिति यह है कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची के ज्ञापांक 2756 दिनांक 26.07.2024 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि सम्य समय पर राज्य सरकार द्वारा की जाती रही है। वर्ष 2002 के प्रारंभिक काल में पारा शिक्षकों का मानदेय 1000/–रूपये प्रतिमाह थी जो समय–समय पर विभिन्न वर्षों में की गई वृद्धि के आलोक में बढ़कर वर्तमान में निम्नवत हो गई हैः– **क. उच्च प्राथमिक (VI-VIII)** प्रशिक्षित एवं शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण – 22500/– प्रशिक्षित – 18200/– अप्रशिक्षित – 11500/– **ख. प्राथमिक (I-V)** प्रशिक्षित एवं शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण – 21000/– प्रशिक्षित – 16800/– अप्रशिक्षित – 10500/– वर्ष वार समय–समय पर मानदेय में की गई वृद्धि परिशिष्ट 'क' के रूप में संलग्न की जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त कर्मियों के मानदेय में तो वृद्धि कर दी गई है, परंतु कल्याण कोष, भविष्य निधि जैसे अन्य कोई सुविधा उन्हें नहीं दी जाती है, जिसके कारण अध्यापक असुरक्षित महसूस कर रहे है;	आंशिक स्वीकारात्मक। 1. समग्र शिक्षा के अधीन कार्यरत संविदाधारी कर्मी वेलफेयर सोसाईटी गठित है जिसमें सहायक अध्यापक, बी.आर.पी. एवं सी.आर.पी. तथा कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय की शिक्षिकाएँ एवं शिक्षकेतर कर्मी शामिल हैं। जिसके तहत कल्याण कोष का गठन किया गया है। सरकार के द्वारा कल्याण कोष हेतु रू. 10 करोड़ की राशि का कॉरपस फण्ड उपलब्ध कराया गया है। 2. कल्याण कोष के संचालन हेतु समग्र शिक्षा के अधीन संविदाधारी कर्मी वेलफेयर सोसाईटी में सम्मिलित सहायक अध्यापक, बी.आर.पी./सी.आर.पी. तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्रतिनिधियों के द्वारा संचालन प्रक्रिया के निर्धारण

Khursh Alam C

		हेतु कार्रवाई उनके सहयोग से की जा रही है। समूह सामान्य बीमा एवं समूह दुर्घटना बीमा के संदर्भ में सदस्यों द्वारा विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। वेलफेयर सोसाईटी में सम्मिलित सभी सदस्य समूह के बीच सामूहिक सहमति नहीं बन पायी है, जिस पर कार्य किया जा रहा है। सभी सदस्यों यथा– सहायक अध्यापक, बी.आर.पी. /सी.आर.पी. एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्रतिनिधियों के बीच उपरोक्त पर सहमति बनते ही कल्याण कोष को लागू कर दिया जाएगा। 3. सहायक अध्यापकों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ देने हेतु मामले को झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् की राज्य कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखा गया था। समिति के निर्णायानुसार वित्त विभाग को सहायक अध्यापकों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दिए जाने के संदर्भ में संचिका पृष्ठांकित की गई थी। वित्त विभाग द्वारा निदेशित किया गया है कि राज्य सरकार के अन्य संविदा कर्मी के संदर्भ एक अन्य संचिका पर उच्च स्तरीय समिति के स्तर से निर्णय लेने हेतु गतिमान की गई है, जिस पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वित्त विभाग के स्तर से यथोचित निर्णय प्राप्त होने के उपरान्त ही ई.पी.एफ. सुविधा प्रदान करने के संबंध में तदोनुसार कार्रवाई की जा सकेगी।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सहायक अध्यापकों को मानदेय के बदले वेतनमान देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	सहायक अध्यापकों के वेतनमान एवं नियमितिकरण की मांग को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा वाद संख्या WP(S) 315/2016 (सुनील कुमार यादव एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) तथा WP(S) 5010/2019 को पारित न्यायादेश में खारिज कर दिया गया है। ज्ञातव्य हो कि उक्त न्यायादेश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न को उल्लेखित करते हुए सहायक अध्यापकों के वेतनमान आधारित मानदेय की मांग को स्वीकृति हेतु योग्य नहीं माना गया है:– i. पारा शिक्षक सम्प्रति सहायक अध्यापक पद पर चयन हेतु निर्धारित चयन प्रक्रिया तथा आरक्षण नियमों का पालन करते हुए चयनित नहीं किए गए हैं। ii. पारा शिक्षक सम्प्रति सहायक अध्यापक सरकारी शिक्षक के पद पर चयन हेतु निर्धारित अहर्ता नहीं रखते हैं। अतः उपरोक्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें मानदेय के बदले वेतनमान नहीं दिया जा सकता है। iii. माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका SLP(C)No. 4881/2024 सुनील कुमार यादव एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में सरकार की ओर से प्रतिशपथ–पत्र दायर किया गया है। मामले की सुनवाई प्रक्रियाधीन है।

राज्य में अबतक पारा शिक्षकों के मानदेय में की वृद्धि संबंधी विवरणी

क्र.सं.	पत्रांक	पारा शिक्षक	मानदेय (प्रतिमाह)
1	वर्ष 2002 में	सभी प्रकार के पारा शिक्षक	रू. 1000/- (भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निदेश के आलोक में)
[illegible]	ज्ञा.शि.प.प./रा.प.नि./1910, दिनांक 01.11.2004	अप्रशिक्षित	रू. 2000/-
		प्रशिक्षित	रू. 2500/-
[illegible]	ज्ञा.शि.प.प./1756, दिनांक 27.11.2006	इंटर अप्रशिक्षित	रू. 2500/-
		इंटर प्रशिक्षित एवं स्नातक अप्रशिक्षित	रू. 3000/-
		स्नातक प्रशिक्षित	रू. 3500/-
[illegible]	ज्ञा.शि.प.प./1578, दिनांक 12.10.2009	इंटर अप्रशिक्षित	रू. 4000/-
		इंटर प्रशिक्षित एवं स्नातक अप्रशिक्षित	रू. 4500/-
		स्नातक प्रशिक्षित	रू. 5000/-
	ज्ञा.शि.प.प./1190, दिनांक 11.07.2011	इंटर अप्रशिक्षित	रू. 5000/-
		इंटर प्रशिक्षित एवं स्नातक अप्रशिक्षित	रू. 5500/-
		स्नातक प्रशिक्षित	रू. 6000/-
[illegible]	SSA/12/102/2010/397, दिनांक 19.03.2013 (01.10.2012 के प्रभाव से वृद्धि)	**क. उच्च प्राथमिक**	
		शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण (VI-VIII) उच्च प्राथमिक	रू. 7000/-
		प्रशिक्षित	रू. 6700/-
		अप्रशिक्षित	रू. 5700/-
		ख. प्राथमिक कक्षा (I-V)	
		प्रशिक्षित एवं शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण	रू. 6500/-
		प्रशिक्षित	रू. 6200/-
		अप्रशिक्षित	रू. 5700/-
7	SSA/12/102/2010/1207, दिनांक 14.07.2014 (01.04.2014 के प्रभाव से वृद्धि)	**क. उच्च प्राथमिक (VI-VIII)**	
		प्रशिक्षित एवं शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण	रू. 8400/-
		प्रशिक्षित	रू. 8000/-
		अप्रशिक्षित	रू. 7400/-
		ख. प्राथमिक कक्षा (I-V)	
		प्रशिक्षित एवं शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण	रू. 7800/-
		प्रशिक्षित	रू. 7400/-
		अप्रशिक्षित	रू. 6800/-
8	JEPC/1798, दिनांक 18.10.2016 (01.04.2016 के प्रभाव से वृद्धि)	**क. उच्च प्राथमिक (VI-VIII)**	
		प्रशिक्षित एवं शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण	रू. 9240/-
		प्रशिक्षित	रू. 8800/-
		अप्रशिक्षित	रू. 8140/-
		ख. प्राथमिक कक्षा (I-V)	
		प्रशिक्षित एवं शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण	रू. 8580/-
		प्रशिक्षित	रू. 8140/-
		अप्रशिक्षित	रू. 7480/-
9	कार्यालय आदेश SSA/12/131/2014/1657, दिनांक 30.11.2017 (01.04.2017 के प्रभाव से वृद्धि)	**क. उच्च प्राथमिक (VI-VIII)**	
		प्रशिक्षित एवं शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण	रू. 10164/-
		प्रशिक्षित	रू. 9680/-
		अप्रशिक्षित	रू. 8954/-
		ख. प्राथमिक कक्षा (I-V)	
		प्रशिक्षित एवं शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण	रू. 9438/-
		प्रशिक्षित	रू. 8954/-
		अप्रशिक्षित	रू. 8228/-
10	कार्यालय आदेश Para/27/14/2008/SPD/AO Cell/144, दिनांक 08.03.2019 (01.01.2019 के प्रभाव से वृद्धि)	**क. उच्च प्राथमिक (VI-VIII)**	
		प्रशिक्षित एवं शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण	रू. 15000/-
		प्रशिक्षित	रू. 13000/-
		अप्रशिक्षित	रू. 11500/-
		ख. प्राथमिक कक्षा (I-V)	
		प्रशिक्षित एवं शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण	रू. 14000/-
		प्रशिक्षित	रू. 12000/-
		अप्रशिक्षित	रू. 10500/-
11	झारखण्ड सहायक अध्यापक सेवाशर्त नियमावली, 2021	**क. उच्च प्राथमिक (VI-VIII)**	
		प्रशिक्षित एवं शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण	रू. 22500/-
		प्रशिक्षित	रू. 18200/-
		अप्रशिक्षित	रू. 11500/-
		ख. प्राथमिक कक्षा (I-V)	
		प्रशिक्षित एवं शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण	रू. 21000/-
		प्रशिक्षित	रू. 16800/-
		अप्रशिक्षित	रू. 10500/-

[signature]

		iv.	प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अधिसूचना संख्या 1060 दिनांक 07.06.2022 में सहायक आचार्य के कुल रिक्त पदों में से 50 प्रतिशत् पद पारा शिक्षक सम्प्रति सहायक अध्यापक हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

28.07.24
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक :16/वि2–21/2024...949./ **राँची, दिनांक..28/07/2024...**

प्रतिलिपि : 200 प्रतियाँ सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3160 दिनांक 24.07.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.07.24
सरकार के अवर सचिव

Khurshid Alam C

(59)

2242
29/07/2024

श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 30.07.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–34

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के निरसा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पाण्ड्रा उच्च विद्यालय, पोद्दारडीह, *PNKN* उच्च विद्यालय केलियासोल तथा सालक–चापड़ा उच्च विद्यालय में अब तक 10+2 की पढ़ाई की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालयों में 10+2 की पढ़ाई नहीं होने के कारण आस–पास के ग्रामीण छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए 10–15 कि. मी. की दूरी तय करनी होती है तथा वे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पाण्ड्रा उच्च विद्यालय, पोद्दारडीह, *PNKN* उच्च विद्यालय केलियासोल तथा सालुकचापड़ा उच्च विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति कर 10+2 की पढ़ाई की समुचित व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	उच्च विद्यालय से +2 विद्यालय में उत्क्रमण हेतु निर्धारित मापदंड के अनुरूप प्रस्ताव नहीं रहने के कारण उत्क्रमण हेतु राज्यस्तरीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त नहीं है। धनबाद जिला द्वारा जिलास्तरीय समिति की अनुशंसा पुनः प्राप्त होने पर उत्क्रमण के संबंध में राज्यस्तरीय स्क्रीनिंग समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जा सकेगा।

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स. 01–63 / 2024....2242..... / दिनांक....29/07/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

60

954
28-07-2024

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री निरल पुरती, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 30.07.2024 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–43

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	उत्तर माननीय विभागीय मंत्री
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न जिलों में केन्द्रीय पाठशाला द्वारा मिड–डे मिल का संचालन किया जा रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। जिलों में केन्द्रीयकृत पाकशाला (Centralized Kitchen) की स्थापना का निर्णय एवं कार्यकारी संस्था का चयन जिला स्तरीय स्टीयरिंग–मॉनिटरिंग कमिटी द्वारा किया जाता है। राज्य मे केन्द्रीयकृत पाकशाला (Centralized Kitchen) संचालन की स्थिति निम्नवत् है– (तालिका नीचे)
2.	क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय पाठशाला चयन के तहत् अन्नामृत संस्था द्वारा पश्चिमी सिंहभूम के तांतनगर प्रखण्ड के स्कूलों में मिड–डे–मिल की आपूर्ति की जा रही है, जो घटिया किस्म का है, जिसे बच्चों द्वारा खाने से इनकार किया जा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक अन्नामृत संस्था द्वारा केन्द्रीयकृत किचेन के माध्यम से तांतनगर प्रखण्ड के 87 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की आपूर्ति की जा रही है। जिलान्तर्गत कतिपय विद्यालयों मे संचालित मध्याहन भोजन के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त संस्था के द्वारा निर्मित मिड–डे–मिल की जाँच कराते हुए संस्था पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	पश्चिमी सिंहभूम जिले में अन्नामृत संस्था द्वारा संचालित केन्द्रीयकृत किचेन से आपूर्ति किये जा रहे मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की शिकायत के आलोक में विभागीय सचिव द्वारा झारखण्ड राज्य मध्याहन भोजन प्राधिकरण के पत्रांक–277 दिनांक–13.06.2024 द्वारा उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम को जिला में अन्नामृत संस्था द्वारा संचालित केन्द्रीयकृत किचेन से आपूर्ति किये जा रहे सभी आच्छादित विद्यालयों में मध्याहन भोजन की गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। जाँच निष्कर्ष के फलाफल पर सरकार द्वारा उचित कार्रवाई की जायेगी।

जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	आच्छादित विद्यालयों की संख्या	आच्छादित होने वाले छात्रों की संख्या
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	जमशेदपुर–1 एवं 2	297	33250
सरायकेला–खरसावाँ	गम्हरिया–1	79	10421
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा	सदर चाईबासा, तांतनगर, झींकपानी एवं खूँटपानी	370	29068
लोहरदगा	लोहरदगा एवं कुडू	102	13917
कुल–		848	86656

Assn
28.07.24
सरकार के अवर सचिव

Khurshi... ...am C

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक :16/वि2–24/2024 954 /   राँची, दिनांक 28-07-2024

प्रतिलिपि : 200 प्रतियाँ सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3259 दिनांक 25.07.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Arun
28.07.24
सरकार के अवर सचिव

Khush... Ram C

(61)

श्री सुखराम उराँव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 30.07.2024 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न सं०–14 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है, कि पं० सिंहभूम जिला के बंदगॉव प्रखण्ड में बंदगॉव डाक बंगला है जिसका एक ऐतिहासिक महत्व है,	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है, कि बंदगॉव डाक बंगला में अंग्रेजों द्वारा भगवान बिरसा मुण्डा को गिरफ्तार कर एक रात के लिए रखा गया था तब से यहाँ के स्थानीय लोग उक्त स्थल को पवित्र स्थान के रूप में मानते है,	2.	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त डाक बंगला का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	प्रश्नाधीन स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद व तदोपरांत राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाता है जिसके पश्चात उक्त स्थल के विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है।
			विभागीय पत्रांक 1142 दिनांक 25.07.2024 द्वारा उक्त स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला पर्यटन संवर्धन समिति, प०सिंहभूम को निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/25/2024 1179 **/राँची, दिनांक** 29.07.2024

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3168/वि०स०, दिनांक–24/07/2024 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/24

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

(62)

श्री उमाशंकर अकेला, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 30.07.2024 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न सं०–22 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग एवं कोडरमा जिले में स्थित जवाहर घाटी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है,	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है, कि सैकड़ों पर्यटक यहाँ पर नौका विहार एवं भ्रमण करने हेतु आते है,	2.	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जवाहर घाटी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	प्रश्नाधीन स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद व तदोपरांत राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाता है जिसके पश्चात उक्त स्थल के विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। विभागीय पत्रांक 1139 दिनांक 25.07.2024 द्वारा उक्त स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला पर्यटन संवर्धन समिति, हजारीबाग एवं कोडरमा को निदेशित किया गया है। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद द्वारा प्रस्ताव विभाग को भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/21/2024 1180 /राँची, दिनांक 29.07.2024

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3210/वि०स०, दिनांक–24/07/2024 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/24

सरकार के संयुक्त सचिव

व

जितेन्द्र

(63)

श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 30.07.2024 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न सं०—02 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि पर्यटन विभाग के पत्रांक—पर्यटन—योजना/04/2010, दिनाँक—30.04.2010 द्वारा जमशेदपुर, सिदगोड़ा स्थित चिल्ड्रेन पार्क एवं सूर्य उद्यान के सौंदर्यीकरण के लिए 17,87,700/— रुपये का आवंटन उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम को दिया गया है,	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2015—16 में पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत सूर्य मंदिर के पास पार्क एवं सोन मंडप का सौंदर्यीकरण करने के लिए कुल 98,73,975/— रुपये की निधि उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को निर्गत की गई है,	2.	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त निधियों से जिन परियोजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है, उनमें से सूर्य उद्यान और सूर्य मंदिर के पास का पार्क अब सरकार अथवा जिला प्रशासन के नियंत्राधीन नहीं है और इस पर अवैध कब्जा है,	3.	**अस्वीकारात्मक** जमशेदपुर सिदगोड़ा स्थित चिल्ड्रेन पार्क एवं सूर्य उद्यान—उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के पत्रांक—239(A)/खे०, दिनांक— 26.07.2022 के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में दिनांक—14.10.2022 को जिला अभियंता, जिला परिषद् से बारीडीह स्थित चिल्ड्रेन प्ले जोन के रख—रखाव एवं संचालन हेतु जमशेदपुर अ०क्षे०स० (अधिसूचित क्षेत्र समिति) को हस्तगत कराया गया है, जिसके उपरान्त वर्णित परिसम्पत्तियों का देख—रेख एवं रख—रखाव का कार्य जमशेदपुर अ०क्षे०स० (अधिसूचित क्षेत्र समिति) के द्वारा किया जा रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इन संपतियों को अवैध कब्जा से मुक्त कराने और इसके लिए दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	4.	उक्त परिसम्पत्ति जीएनएससी के द्वारा संचालित किया जा रहा है तथा अतिक्रमण मुक्त है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक—पर्यटन/वि०स०/20/2024 1177 /राँची, दिनांक 29.07.2024

प्रतिलिपिः— अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या—3170/वि०स०, दिनांक—24/07/2024 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२९/०७/२४

सरकार के संयुक्त सचिव

(64)

श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता, मा० स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–30.07.2024 को पृच्छित अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–33 का उत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के निरसा विधान सभा क्षेत्र स्थित राज ग्राउण्ड स्टेडियम जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज ग्राउण्ड स्टेडियम में आए दिन विभिन्न तरह के खेल का आयोजन होते रहता है जिसमें राज्य स्तर के खिलाड़ी खेलते व अभ्यास करते है;	स्वीकरात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त स्टेडियम जीर्ण–शीर्ण अवस्था में रहने के कारण खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु अभ्यास न खेलने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकरात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज ग्राउण्ड स्टेडियम में गैलरी का निर्माण, तोरण द्वार तथा गेट, स्टेज, बाउण्ड्री तथा बाउण्ड्री पर फेनसिंग वायरिंग, पेयजल तथा खिलाड़ियों के अन्य सुविधाओं की व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान में उपायुक्त, धनबाद से संबंधित स्टेडियम जीर्णोद्धार एवं उन्नयन का प्रस्ताव अप्राप्त है। उपायुक्त, धनबाद से संबंधित स्टेडियम के जीर्णोद्धार एवं उन्नयन से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त बजट उपलब्धता के आधार पर नियमानुकूल अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य० / वि०स०–22 / 2024 1175 / राँची, दिनांक 29.07.2024

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–3208 / वि०स०, दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/07/24

सरकार के संयुक्त सचिव

(65)

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

958
29/07/2024

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 30.07.2024 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–48

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	उत्तर माननीय विभागीय मंत्री
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे साक्षर भारत कार्यक्रम का 30 मार्च, 2018 के प्रभाव से समाप्त होने के उपरान्त जिला साक्षरता वाहिनी, धनबाद के अधीन मानदेय पर कार्यरत जिला, प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर के कर्मियों का लगभग 20–30 माह का मानदेय भुगतान लंबित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के गै.स.प्रे.सं. 82 दिनांक 29.07.2024 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार दावे की राशि साक्षर भारत कार्यक्रम का है। यह कार्यक्रम दिनाक 31.03.2018 के प्रभाव से समाप्त हो चुका है। उक्त कार्यक्रम के संचालन अवधि में धनबाद जिला से मानदेय मद में मांगी गई कुल रू. 3,56,40,000/– के विरूद्ध रू. 2,51,69,000/– का भुगतान किया जा चुका है। शेष राशि रू. 1,04,71,000/– का भुगतान ससमय प्रतिवेदन के अभाव में नहीं किया जा सका।
2	क्या यह बात सही है कि उपायुक्त–सह–अध्यक्ष जिला साक्षरता वाहिनी, धनबाद के पत्रांक–10"साध" दिनांक–20.09.2021 द्वारा उप निदेशक, प्राथमिक एवं स्कूली शिक्षा विभाग, झारखण्ड राँची को पत्राचार कर प्रेरकवार बकाया मानदेय तथा मिश्रित व्यय विवरणी उपलब्ध कराते हुए कुल राशि–1,17,75,695.00 (एक करोड़ सत्रह लाख पचहत्तर हजार छ सौ पंचानवे) रू० की बकाया राशि उपलब्ध कराने हेतु प्रतिवेदन समर्पित किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार धनबाद जिले में साक्षर भारत कार्यक्रम से जुड़े साक्षरता कर्मियों का बकाया मानदेय भुगतान करते हुए "नव भारत साक्षरता कार्यक्रम" में समायोजित करने हेतु केन्द्र सरकार को अधियाचना भेजने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में धनबाद जिला के साथ–साथ कतिपय अन्य जिलों की राशि के बकाया का मामला भी है। राज्य प्राधिकरण के पास उक्त "साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में उपलब्ध राशि रू. 12962635.00 (एक करोड उनतीस लाख बासठ हजार छः सौ पैंतीस रुपये) है, जबकि वास्तविक बकाया की कुल राशि 51995355.00 (पांच करोड़ उन्नीस लाख पनचान्वे हजार तीन सौ पचपन रुपये) है। उपलब्ध राशि रू. 12962635.00 (एक करोड उनतीस लाख बासठ हजार छः सौ पैंतीस रुपये) से कतिपय जिलों (धनबाद सहित) को राशि उपलब्ध कराया जा रहा है। (परिशिष्ट–क संलग्न है) भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार 'नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' एक स्वयंसेवा पर आधारित अलग कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मानेदय/वेतन के आधार पर किसी भी प्रकार के नियुक्ति/समायोजन का प्रावधान नहीं है।

Alam 29.07.24
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक :16/वि2–22/2024.....958/ राँची, दिनांक..29/07/2024

प्रतिलिपि : 200 प्रतियाँ सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3257 दिनांक 25.07.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Alam 29.7.24
सरकार के अवर सचिव

Khurshid Alam C

परिशिष्ट - 'क'

(19)

पत्रांक रा.सा.मि.-प्रा-27/19/130

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण)

प्रेषक,

कैलाश मिश्रा,
सहायक निदेशक–सह–प्रभारी पदाधिकारी,
राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण,
झारखण्ड।

सेवा में,

शाखा प्रबंधक,
पंजाब नेशनल बैंक, धुर्वा, राँची।

राँची, दिनांक 22 / 07 / 2024

विषय :– **साक्षर भारत कार्यक्रम की राशि का निम्नांकित उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति के नाम बैंक ड्राफ्ट निर्गत करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि साक्षर भारत कार्यक्रम की अवशेष राशि, जो SBI, हटिया के द्वारा राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (NILP) के SNA खाता संख्या 7608000100062165 में हस्तांतरित किया गया है, उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निम्नांकित जिलों के नाम उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति के नाम निर्गत करने की कृपा की जाए।

क्र0	**जिला का नाम**	**बैंक ड्राफ्ट की राशि**
1.	उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, **गिरिडीह**	2000000.00
2.	उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, **धनबाद**	5000000.00
3.	उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, **गोड्डा**	2500000.00
4.	उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, **पलामू**	1462000.00
5.	उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, **गढ़वा**	2000000.00
	कुल योग :–	**12962000.00**

उपर्युक्त जिलों को राशि निर्गत करने की सहमति विभागीय सचिव से प्राप्त है।

विश्वासभाजन

22/7/24

(कैलाश मिश्रा)
सहायक निदेशक–सह–प्रभारी पदाधिकारी,
राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण,
झारखण्ड।

(66)

2234
29/07/2024

श्री किशुन कुमार दास, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 30.07.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–38

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में काफी संख्या में इंटर महाविद्यालय, उच्च विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, मदरसा विद्यालय अनुदानित हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में वित्त रहित स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त अनुदानित विद्यालयों की संख्या – इंटर महाविद्यालय–190, उच्च विद्यालय–320, मदरसा–47 एवं संस्कृत विद्यालय–40 है।
2	क्या यह बात सही है कि इन महाविद्यालयों एवं अन्य को राज्यकर्मी के समान वेतन देने हेतु विभागीय प्रस्ताव कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग में लंबित है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत् कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति संबंधित संस्थान के शासी निकाय के द्वारा की जाती है तथा ये कर्मी सरकारी कर्मी नहीं होते हैं। इन कर्मियों के वेतन भुगतान का दायित्व संबंधित संस्थान के शासी निकाय की होती है। उल्लेखनीय है कि वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करते हुए नियमावली बनाकर सभी वित्त रहित कर्मचारी की सेवा सरकारी संवर्ग में करने एवं वेतनमान देने के संदर्भ में मा0स0वि0स0 श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह के पत्रांक–DPS/155/2021-22 दिनांक–30.08.2021, जो माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय के गै0स0प्रे0सं0–3600959 दिनांक– 08.09.2021 के द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ था, की प्रति समुचित कार्रवाई हेतु निदेशालयीय पत्रांक–1917 दिनांक–11.10.2021 के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रेषित की गयी थी। यह उल्लेखनीय है कि राजकीय संकल्प अधिसूचना सं. 129 दिनांक 30.11.1981 के द्वारा माध्यमिक विद्यालयों की प्रस्वीकृति के संबंध में राज्य सरकार द्वारा नीति निर्धारित की गयी थी कि माध्यमिक विद्यालयों की प्रस्वीकृति एवं अधिग्रहण की प्रक्रिया एक–दूसरे से बिल्कुल अलग होगी तथा विद्यालय की प्रस्वीकृति के पश्चात् राज्य सरकार बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम की धारा–19 के अंतर्गत बिना किसी वित्तीय भार के प्रस्वीकृति प्रदान करेगी तथा ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा को भी सरकार अधिग्रहित नहीं करेगी। उपर्युक्त संकल्प के प्रावधान राज्य गठन के उपरांत भी हू–बहू लागू हैं एवं संप्रति वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत् कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा सरकारी संवर्ग में करते हुए वेतनमान देने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित महाविद्यालयों को नियमावली बनाकर राज्यकर्मी का दर्जा देने एवं समान वेतन या घाटा अनुदान लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	उत्तर उपर्युक्त खण्ड–2 में सन्निहित है।

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स. 01–74 / 2024 2234 / दिनांक 29/07/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

69

श्रीमती सुनिता चौधरी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–30.07.2024 को पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–25 की उत्तर सामाग्री।

अल्प–सूचित प्रश्न	उत्तर सामग्री
1– क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिला के गोला, चितरपुर, दुलमी प्रखण्ड के कई क्षेत्र जंगली हाथी प्रभावित क्षेत्र है, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष जंगली हाथियों के द्वारा काफी मात्रा में फसलों एवं मकानों की क्षति पहुँचायी जाती है;	स्वीकारात्मक। गोला, चितरपुर एवं दुलमी प्रखण्ड जंगली हाथी से प्रभावित क्षेत्र है, जिसके कारण फसलों एवं मकानों को क्षति पहुंचती है।
2– क्या यह बात सही है कि वर्ष 2018 से प्रत्येक प्रखण्ड में फसल एवं मकानों के क्षति के मुआवजा आंकलन एवं सत्यापन के सैकड़ों आवेदन अंचल कार्यालय एवं वन विभाग के अधिकारियों के पास लंबित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। मुआवजा के आवेदनों का सत्यापन का निष्पादन यथासंभव बिना विलम्ब के किया जाता है। चितरपुर और दुलमी प्रखण्डों में वर्ष 2018 से 2024 तक एवं गोला प्रखण्ड में वर्ष 2018 से 2022 तक कोई भी मामला लंबित नहीं है। केवल वर्ष 2023 और वर्ष 2024 के कुछ आवेदन सत्यापन हेतु गोला अंचल कार्यालय में प्राप्त हैं, जिनके जल्द सत्यापन हेतु कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2018 से वर्ष 2024 तक के लंबित मामलों की विवरणी निम्नवत् है :–
3– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या गोला, चितरपुर, दुलमी प्रखण्ड के क्षेत्र में जंगली हाथियों के द्वारा किये गये फसल एवं मकान क्षति के लंबित आवेदनों का सत्यापन करा कर मुआवजा भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	विभाग मुआवजा के त्वरित सत्यापन एवं भुगतान हेतु सतत् कार्यशील है। कुछ मामले प्रक्रियाधीन हैं। जिसमें सत्यापन कार्यो को शीघ्र पूरा कराकर भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

वित्तीय वर्ष	चितरपुर प्रखण्ड	दुलमी प्रखण्ड	गोला प्रखण्ड
2018	NIL	NIL	NIL
2019	NIL	NIL	NIL
2020	NIL	NIL	NIL
2021	NIL	NIL	NIL
2022	NIL	NIL	NIL
2023	NIL	NIL	100
2024	NIL	NIL	547

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0अल्पसूचित प्रश्न–40/2024– 2985 व0प0, दिनांक– 29/7/24

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–3213, दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/24

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

71

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

951
28/07/2024

श्री विनोद कुमार सिंह, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 30.07.2024 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–17

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	उत्तर माननीय विभागीय मंत्री
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य की मध्य/माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न निजी कंपनियों के माध्यम से 4 हजार से ज्यादा कम्प्यूटर शिक्षक/अनुदेशक कार्यरत है, जिनकी तकनीकी योग्यता स्नातक स्तरीय है;	**आंशिक स्वीकरात्मक।** वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची के ज्ञापांक 2753 दिनांक 26.07.2024 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वर्तमान में राज्य के लगभग 3000 विद्यालयों में आई.सी.टी. अनुदेशक विभिन्न आई.सी.टी. प्रदाता कम्पनियों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकार आउटसोर्सिंग एजेंसियों को इनके वेतन मद में प्रति माह 14200 रूपया भुगतान करती है, जबकि एजेंसी द्वारा इन्हें अधिकतम 10 हजार तक ही भुगतान होता है;	**आंशिक स्वीकरात्मक।** केन्द्र प्रायाजित योजना समग्र शिक्षा के अन्तर्गत संचालित आई.सी.टी. योजना के तहत आच्छादित विद्यालयों में सेवा प्रदाता एजेंसियों का चयन निविदा के माध्यम से किया जाता है तथा उनके माध्यम से योजना का संचालन किया जाता है। आई.सी.टी. कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के द्वारा आवर्ती मद में प्रति विद्यालय प्रति वर्ष 2.40 लाख की स्वीकृति दी जाती है। इस राशि के अन्तर्गत आई.सी.टी. अनुदेशक का मानदेय, इंटरनेट की व्यवस्था, ई–कंन्टेंट हेतु राशि, वर्ष में उपयोग होने वाले कम्प्यूटर स्टेशनरी, प्रशिक्षण इत्यादि का भुगतान भी इस मद से किया जाता है। आई.सी.टी. अनुदेशक को देय मानदेय उपरोक्त स्वीकृत वार्षिक प्रावधानित राशि में से वैधानिक कटौतियों, अन्य मासिक रख–रखाव में आवर्ती मद में व्यय के पश्चात मानदेय के रूप में प्रति माह रू. 10,000/– से लेकर रू. 12000/– तक प्रदान की जाती है, जो एकरारित पांच वर्ष की अवधि में से प्रथम वर्ष में रू. 10,000/– तथा वार्षिक वृद्धि के साथ प्रदान की जाती है। सभी अनुदेशकों को इस राशि के अन्तर्गत ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0सी0 की सुविधा भी अनिवार्य रूप से दिया जाना होता है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इनके मानदेय में वृद्धि का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं	आई.सी.टी. अनुदेशक समग्र शिक्षा कार्यक्रम विशेष के अन्तर्गत कार्यरत हैं तथा जबतक भारत सरकार द्वारा इनके प्रावधानित बजट में वृद्धि नहीं की जाती

Khurshid Alam C

	तो क्यों ?	है तब तक इनके मानदेय में वृद्धि किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।

Asum 28.07.24
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक :16/वि2–19/2024..951../ **राँची, दिनांक..28/07/2024**

प्रतिलिपि : 200 प्रतियाँ सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3167 दिनांक 24.07.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Asum 28.07.24
सरकार के अवर सचिव

Khurshid Alam C

(72)

2228
29/07/2024

श्री नवीन जायसवाल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 30.07.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–01

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में 446 सरकारी +2 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के कुल 11 विषयों की पढ़ाई की जाती है, जिसमें लगभग 892 प्रशिक्षक वर्ष 2015 से ईमानदारी पूर्वक अपना योगदान देते आ रहे हैं;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची के प्रतिवेदन अनुसार राज्य के 446 सरकारी विद्यालय, जिसमें माध्यमिक एवं +2 विद्यालय हैं, में व्यावसायिक शिक्षा संचालित है। इनमें 11 व्यावसायिक ट्रेड में 892 प्रशिक्षकों के द्वारा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राज्य के व्यावसायिक शिक्षा संचालक एवं प्रशिक्षकों की नियुक्ति संबंधी दिशा निर्देश में प्रशिक्षकों की नियुक्ति एवं समायोजन संबंधी निर्देश प्राप्त है, केन्द्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देश के आलोक में दूसरे अन्य राज्य में व्यावसायिक शिक्षा के प्रशिक्षकों की नियुक्ति एवं समायोजन की गई है;	व्यावसायिक शिक्षा का संचालन केन्द्र प्रायोजित समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत् उपरोक्त वर्णित 446 विद्यालयों में किया जा रहा है। इन व्यावसायिक शिक्षकों की सेवा कार्यक्रम विशेष के तहत् अधिकतम् 04 वर्षो के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदाता कंपनियों के माध्यम से कार्यक्रम संचालन अवधि तक ली जाती है। अतः इनका समायोजन सरकार के द्वारा स्वीकृत पद पर नहीं किया जा सकता है।
3	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान में झारखण्ड राज्य में व्यावसायिक शिक्षा के प्रशिक्षकों की नियुक्ति निजी कम्पनी के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से 1–2 वर्ष (निर्धारित समय) के लिए काफी कम मानदेय पर की जाती है, निजी कम्पनी के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया के कारण व्यावसायिक प्रशिक्षकों को अल्प मानदेय, अवकाश एवं निजी कम्पनियों के मालिक के द्वारा बेवजह नौकरी से हटाने की डर से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची के द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षकों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदाता कम्पनियों से कार्यक्रम अवधि विशेष के तहत् अधिकतम् 04 वर्ष के लिए सेवाएँ ली जाती हैं। व्यावसायिक शिक्षकों को प्रतिमाह रु. 20000/– मानदेय प्रदान किया जाता है तथा संतोषप्रद कार्य रहने की स्थिति में उनकी सेवा संबंधित व्यावसायिक प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से 04 वर्ष तक के लिए ली जाती है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यावसायिक शिक्षा का ठेका प्रथा से मुक्त कर	अस्वीकारात्मक। वर्ष 2018–19 से इन्हें रु. 20000/– मानदेय प्रदान किया जा रहा है। कोई भी वृद्धि भारत सरकार के द्वारा

(74)

श्रीमती सुनिता चौधरी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 30.07.2024 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न सं०–23 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या क्या यह बात सही है, कि रामगढ़ जिला के प्राचीन शिव मंदिर कैथा, मायाटुंगरी, रजरप्पा पर्यटन विभाग की सूची में सूचीबद्ध है,	1.	**स्वीकारात्मक** छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा–श्रेणी A, महादेव मंदिर कैथा – श्रेणी C, माया डूंगरी–श्रेणी B के पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित है।
2.	क्या यह बात सही है, कि प्राचीन शिव मंदिर कैथा अत्यंत जर्जर स्थिति में है लेकिन विभाग इसके संरक्षण के लिए उपाय नहीं कर रही है,	2.	**आंशिक स्वीकारात्मक** रामगढ़ जिला के प्राचीन शिव मंदिर कैथा को संरक्षित करने से संबधित कोई प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नहीं है और न ही सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत विचाराधीन है। प्राचीन शिव मंदिर कैथा को संरक्षित करने से संबधित प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभाग द्वारा समुचित कार्रवाई की जायगी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्राचीन शिव मंदिर कैथा को मुलटी दुमका के दर्ज पर संरक्षित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	कंडिका 02 में उत्तर वर्णित है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/23/2024.....1182...../राँची, दिनांक.....29.07.2024.....

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3211/वि०स०, दिनांक–24/07/2024 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/24

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

(75)

डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–30.07.2024 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–09

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पाँकी पखण्ड के आसेहार में संचालित सौरभ स्टोन माईस की दूरी, उच्च विद्यालय, आसेहार तथा पंचायत सचिवालय, आसेहार की दूरी तय सीमा से काफी कम है, जहाँ हैवी ब्लास्टिंग के कारण विद्यालय की दिवारों में दरारे आ गई है;	उत्तर अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि पलामू जिला अंतर्गत श्री कुमार सौरभ के पक्ष में मौजा आसेहार, थाना–पाँकी, थाना संख्या–413, प्लॉट संख्या–2186 (अंश), खाता संख्या–117, रकबा–6.00 एकड़ क्षेत्र पर (दिनांक–02.02.2016 से 10 वर्ष) के लिए धारित है। खनन पट्टा की स्वीकृति सभी आवश्यक वैधानिक अनापत्ति यथा अंचलाधिकारी, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, ग्रामसभा की अनापत्ति तथा पर्यावरणीय स्वीकृति के आलोक मे प्रदान की गयी है। खनन पट्टा की स्वीकृति के पूर्व निर्गत अंचलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण के प्रतिवेदनानुसार आवेदित क्षेत्र के 500 मीटर के अंदर कोई शैक्षणिक संस्थान स्थित नहीं है। अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्त्तमान में झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची से निर्गत CTE, CTO एवं DGMS से अनुमति में निहित शर्त्तों सहित खनन कार्य किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि कभी भी अप्रिय घटना घटने की संभावना बनी रहने के कारण विद्यार्थियों एवं शिक्षण कर्मियों की जान–माल की सुरक्षा भी आशंकित रहती है;	यथा–उपरोक्त।
3	क्या यह बात सही है कि पत्थर खदानों की भारी वाहनों के परिचालन के कारण पथ की स्थिति अत्यंत जर्जर हो गई है तथा धूल से ग्रामीण जनता का जीवन दुरूह हो गया है;	यथा–उपरोक्त।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित स्टोन मार्हस पर रोक लगाने का विचार रखती है यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	यथा–उपरोक्त।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(अ0सू0)–30 / 2024 1245 / एम०, राँची, दिनांक:– 29/07/24

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–3175 दिनांक–24.07.2024 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/2024

सरकार के संयुक्त सचिव

(76)

2237
29/07/2024

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 30.07.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–26

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि संत मेरीज उच्च विद्यालय, बक्शीबाँध, दुमका को केन्द्र सरकार के अधीन नेशनल कमीशन माइनोरिटी इंस्टीट्यूट, दिल्ली द्वारा अप्लसंख्यक स्कूल का दर्जा प्राप्त है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि दर्जा प्राप्त होने के बावजूद राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक स्कूल की सूची में शामिल नहीं करने के कारण विद्यालय को सभी प्रकार के वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधा से उक्त विद्यालय आज भी वंचित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक–1554 दिनांक 09.08.2016 के द्वारा झारखण्ड अराजकीय माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त्त एवं बंधेज) नियमावली, 2008 में निहित प्रावधानों के तहत् स्थापना अनुमति प्राप्त प्रस्तावित संत मेरीज उच्च विद्यालय, बक्शीबाँध, दुमका को प्रस्वीकृति प्रदान की गयी है। तद्नुसार उक्त विद्यालय झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 में निहित प्रावधानों/नियमावली के अधीन अनुदान प्राप्त करने की अर्हत्ता रखता है। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची में दायर **डब्ल्यू. पी. (सि.) सं. 3073/2010, नरपति हाई स्कूल, समशेरा बनाम् राज्य सरकार व अन्य तथा अन्य समरूप वाद** में दिनांक 20.07.2018 को पारित आदेश में विभागीय अधिसूचना सं. 3227 दिनांक 23.10.2009, जिसके द्वारा सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, रांची के द्वारा अधिसूचित किया गया था कि वादी स्कूल के मामले में मात्र झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 के प्रावधानों के अनुरूप मात्र अनुदान देय होगा, उन्हें वेतनादि अनुदान देय नहीं होगा, जो गैर सरकारी अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त विद्यालयों को देय होता है, को स्वीकार करते हुए वादीगण के दावे को खारिज किये जाने की कृपा की गयी थी। यह न्यायादेश *Finality* प्राप्त कर चुका है।

3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संत मेरिस उच्च विद्यालय, बक्शीबाँध, दुमका को सरकार अल्पसंख्यक स्कूल की सूची में शामिल करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	सदृश मामले में वित्त विभाग, झारखण्ड का परामर्श निम्नवत् है – "राज्य में वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 के परिप्रेक्ष्य में अब किसी भी विद्यालय को गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय घोषित नहीं किया जा सकता या स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।" उक्त के आलोक में प्रश्नगत् विद्यालय को गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय घोषित नहीं किया जा सकता है।

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–61/2024 2237/ दिनांक 29/07/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

श्री रामचन्द्र सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–30.07.2024 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–29 का उत्तर सामग्री।

अल्प–सूचित प्रश्न	उत्तर सामग्री
1– क्या यह बात सही है कि बेतला राष्ट्रय उद्यान, पलामु वन्यप्राणी आश्रयणी एवं महुआडांड़ आश्रयणी के चारों ओर कुल 1253–59 वर्ग कि०मी० Eco Sensitive Zone अन्तर्गत आता है ;	स्वीकारात्मक।
2– क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त वर्णित ECZ Area अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र का अधिकांश आबादी वाला क्षेत्र/प्रखण्ड यथा महआडांड़, बरवाडीह, मनिका, लातेहार, गारू, सरयु का क्षेत्र आता है जहाँ घोर आबादी आवासित है, में सरकार की विकास कार्यो की योजनाएँ यथा– पथ निर्माण/ डैम निर्माण इत्यादि अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन वन विभाग के NOC के अभाव में लंबित रह जा रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रखंड–महुआडांड़, बरवाडीह, मनिका, गारू, लातेहार एवं सरयू (आंशिक रूप से) ग्राम ECO Sensitive Zone क्षेत्र के अन्दर आते है। पलामू वन्यप्राणी आश्रयणी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान और महुआडांड़ भेड़िया अभ्यारण्य क्षेत्र अन्तर्गत वन भूमि पर योजनाओं का कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय वन्य–जीव पर्षद द्वारा अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है, तत्पश्चात वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् भारत सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही पथ निर्माण कार्य, डैम निर्माण कार्य एवं अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा सकता है। अनेक बार कई प्रस्तावों में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाईन प्रस्ताव समर्पित नहीं करने एवं प्रस्ताव में त्रुटि रहने के कारण योजनाओं की स्वीकृति में बिलंब होता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं०–2638 दिनांक–9 अगस्त 2019 द्वारा बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू वन्यप्राणी आश्रयणी एवं महुआडांड भेड़िया आश्रयणी के चारों ओर कुल 1253.49 वर्ग कि०मी० का पारिस्थितकी संवेदी जोन (ESZ) अधिसूचित किया गया है। पारिस्थितकी संवेदी जोन (ESZ) की सीमा न्यूनतम शून्य से अधिकतम 7 कि०मी० तक अधिसूचित है। इस पारिस्थितकी संवेदी जोन (ESZ) में अधिसूचना की कंडिका 4 की सारणी– 'क' में वर्णित क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों की श्रेणी में रखा गया है;– 1. वाणिज्यिक खनन् पत्थर उत्खनन और अपघर्षण ईकाईयाँ। 2. प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना। 3. बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना। 4. किसी परिसंकटमय पदार्थों (hazardous substances) का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण। 5. प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रव का निस्सारण। 6. नई आरा मिलों और काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना। 7. जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग। 8. ईंट भट्ठों की स्थापना करना। जबकि कंडिका 'ख' एवं 'ग' में वर्णित क्रियाकलाप स्थानीय नियमों के अनुरूप किये जा सकते हैं यथा;– 1. वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टो की स्थापना। 2. संनिर्माण क्रियाकलाप (construction activities) 3. प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।

	4. स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धवाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन। 5. फर्मों, कम्पनियों द्वारा वाणिज्यिक, पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना। 6. वृक्षों की कटाई। 7. वन उत्पादों या गैर काष्ट वन उत्पादों का संग्रहण। 8. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढाँचे। 9. नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाए। 10. विद्यमान सड़को को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिमार्ण। 11. पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारे, हेलिकॉप्टर ड्रोन, माइकोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के उपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना। 12. पहाड़ी टालों और नदी तटों का संरक्षण। 13. रात्रि में वानिकी यातायात का संचलन। 14. प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपाचारित बहिस्त्रार्व का निस्तरण। 15. सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण। 16. खुले कुआं, बोर कुंआ आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए। 17. पोलिथी बैगों का उपयोग। 18. ठोस अपप्रिंट का प्रबंधन। 19. विदेशी प्रजातियों को लाना। 20. पारिस्थितकी – पर्यटन। 21. वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होडिंग। 22. वर्षा जल संचयन। 23. जैविक खेती। 24. सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रोद्योगिकी को ग्रहण करना। 25. कुटीर उद्योगो जिसके अन्तर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी है। 26. नवीकरणीय उर्जा और ईंधन का उपयोग। 27. कृषि वानिकी। 28. बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण। 29. पारितस्थिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग। 30. कौशल विकास। 31. निम्नीकृत भूमि/वन/बास की बहाली। 32. पर्यावरणीय जागरूकता।
3– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लातेहार जिला के मनिका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चल रही सभी सरकारी विकास योजनाओं में जहां वन विभाग द्वारा NOC की आवश्यकता है त्वरित रूप से NOC प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उत्तर कंडिका (2) में निहित है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0अल्पसूचित प्रश्न–41/2024– 2984 व0प0, दिनांक– 29/7/24

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–3212, दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/24

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

78

श्री अमित कुमार यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–30.07.2024 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–45 का उत्तर सामग्री।

अल्प–सूचित प्रश्न	उत्तर सामग्री
1– क्या यह बात सही है कि श्री सबा अहमद, तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान वन रोपन एवं अन्य विकास कार्यों में व्यापक रूप से अनियमितता बरती गई है एवं अधीनस्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ सांठ–गांठ कर फर्जी बिल तैयार कर निकासी अवैध रूप से पेड़ों की कटाई तथा नियम विरुद्ध वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है;	अस्वीकारात्मक। श्री सबा आलम तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के विरूद्ध उनके कार्यकाल के दौरान वनरोपण एवं विकास कार्यो में किसी भी प्रकार की अनियमितता, नियम विरूद्ध निकासी और नियम विरूद्ध वनभूमि के अनापत्ति प्रमाण पत्र देने संबंधी कोई मामला प्रतिवेदित नहीं है। हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अंतर्गत व्यापक स्तर पर अवैध पातन का कोई मामला नहीं है। अवैध पातन, खनन एवं अतिक्रमण के अन्य सभी मामलों में विधिसम्मत त्वरित कार्रवाई की गयी है।
2– यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में इनके कार्यकाल में किये गये अवैध कार्यों की उच्च स्तरीय जाँच कराते हुए इनको दंडित करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	खण्ड–1 का उत्तर अस्वीकारात्मक है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0अल्पसूचित प्रश्न–43/2024–2987 व0प0, दिनांक–29/7/24

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–3251 दिनांक–25.07.2024 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/24

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

(79)

2235
29/07/2024

श्री समीर कुमार मोहन्ती, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 30.07.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–07

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि 65 अंगीभूत डिग्री महाविद्यालयों के इंटरमीडिएट प्रभाग में लगभग 5000 शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी वर्षो से सेवारत हैं;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि अंगीभूत महाविद्यालयों के इंटर प्रभाग में संबंधित महाविद्यालय द्वारा गेस्ट शिक्षक/कर्मियों से कार्य लिया जाता है। इस प्रक्रिया में विभाग एवं विभागान्तर्गत झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की कोई भूमिका नहीं है। यह संबंधित अंगीभूत महाविद्यालय द्वारा स्थानीय व्यवस्था अंतर्गत संचालित किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि नई शिक्षा नीति 2020 के लागू हो जाने से डिग्री महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बन्द कर प्लस टू स्कूलों में इंटरमीडिएट की पठन–पाठन की क्रियाएँ संचालित होनी है, जिसके परिणाम स्वरूप खण्ड–1 में वर्णित शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के समक्ष जीविकोपार्जन की समस्या उत्पन्न हो गई है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि नई शिक्षा नीति, 2020 में कक्षा 9 से 12 तक को माध्यमिक स्तर के अन्तर्गत रखा गया है, जो नेशनल एजूकेशन पोलिसी, 2020 के पार्ट–1 स्कूल एजूकेशन में वर्णित है। अंगीभूत एवं डिग्री संबद्ध महाविद्यालयों के संस्थान के कर्मियों का संबंधित मामला विभाग एवं विभागान्तर्गत झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के क्षेत्राधिकार में नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील सं. 233/1991, भारत संघ एवं अन्य आदि बनाम् तेजराम परशरामजी बंभाटे एवं अन्य** वाद में समरूप मामले में दिनांक 03.05.1991 को पारित आदेश में सरकार के पक्ष को स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण के दावे को खारिज कर दिया गया था – There is no evidence in record that respondents were appointed as teachers on honorarium by or on behalf of the Central Government. There is no evidence that they were initially appointed in primary School and later shifted to the Secondary School. It is undisputed that the Central Government has not sanctioned the Secondary School nor created any posts thereto. It had only sanctioned the Primary School and the posts connected therewith which are being occupied by regularly recruited teachers 2. The directions of the Tribunal are indeed amazing compelling the Central Government to sanction the Secondary School. The Central Government has taken a decision that it will not involve itself in sanctioning or running classes beynnd the Primary School level. It is a policy matter involving fmancial burden. No Court or the Tribunal could compel the Government to change its

		policy involving expenditure. 3. The respondents are not paid by the Central Government. There is no relationship of master and servant between the Central Government and the respondents. The respondents are employed by the local officers so how the Central Government is accountable.
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को प्लस टू स्कूलों में समायोजन करने की दिशा में उचित पहल करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उत्तर उपरोक्त कंडिका में संन्निहित है।

29/07/24
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड--सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स. 01–59 / 2024 2235 / दिनांक 29/07/2024

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/24
सरकार के अवर सचिव।

(80)

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–30.07.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–30

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि भारत सरकार की योजना AKIC (Amritsar Kolkata Industrial Corridor) परियोजना अन्तर्गत IMC (Intergrated Manufacturing Cluster) के स्थापना के लिए गढ़वा जिले के भवनाथपुर टाउनशिप माइंस को लीज क्षेत्र चिन्हित किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित मामले से संबंधित उपायुक्त, गढ़वा के द्वारा राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला आकांक्षी जिला के रूप में चिन्हित है और जिले में एक भी उद्योग नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक। 1.गढ़वा जिला अन्तर्गत बेलचम्पा औद्योगिक क्षेत्र अवस्थित है। 2. गढ़वा जिले में कुल–191 औद्योगिक इकाई हैं।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार IMC (Intergrated Manufacturing Cluster) की स्थापना भवनाथपुर टाउनशिप में कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	DPIIT, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ बैठक के निर्णय में गढ़वा जिला अंतर्गत भवनाथपुर की चिन्हित भूमि को IMC (Intergrated Manufacturing Cluster) AKIC परियोजना हेतु अनुपयुक्त बताया गया है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01 / विधानसभा–03–12 / 2024 949 / राँची, दिनांकः– 29/07/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3215 दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/24

सरकार के अवर सचिव
उद्योग विभाग।